CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

GENERAL COUNCIL MEETING

20-22 April 2000

Kozhikode, Kerala

* महासचिव की रिपोर्ट

* REPORT OF WORKSHOP ON ORGANISATION

* RESOLUTIONS

* STATEMENT OF ACCOUNTS

महासचिव की रिपोर्ट

प्रिय साथियो,

1.1 जयपुर (राजस्थान) में 13-16 नवम्बर 1999 को सम्पन्न कार्य समिति की बैठक के पश्चात् देश की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति उल्लेखनीय सीमा तक बिगड़ चुकी है। देश में जनवादी विचारों वाले लोगों के लिए यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार अमरीकी साम्राज्यवादियों के दबाव के आगे झुक गई है और उसने साम्राज्यवादी शक्तियों की अनेक शर्तों को मान लिया है जिसके दुष्परिणामस्वरूप देश की प्रभुसत्ता तथा अखण्डता के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है। विश्व में सबसे अधिक घिनावने अपराधी बिल क्लिंटन का जिस प्रकार भव्य स्वागत किया गया उससे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का दासत्व भाव ही उजागर होता है। आर्थिक क्षेत्र में केंद्रीय सरकार विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सभी शर्तों का अनुपालन करने की दिशा में कदम बढ़ाती चली जा रही है जिसके दुष्परिणामस्वरूप देश की पूरी अर्थव्यवस्था विनाशकारी स्थिति में पहुंच गई है।

1.2 लोक सभा चुनावों के परिणाम घोषित होने से पूर्व ही केंद्रीय सरकार ने डीजल के मूल्यों में 40 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी थी। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में और वृद्धि कर दी तथा उपभोक्ताओं के लिये वितरित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा कम कर दी थी। रसोई गैस के मूल्य इस सीमा तक बढ़ा दिये गए हैं कि मध्यम श्रेणी के साथ सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारियों के लिये भी इस असहनीय बोझ की सहन करना कठिन हो रहा है। दूध के मूल्यों को दोगुणा कर देना जन साधारण की स्थिति को बदतर बना देने की एक कार्रवाई ही तो है।

1.3 जब भारत सरकार ने विदेशी वकीलों को भारत में मुकद्दमें लड़ने की अनुमति देने का निर्णय लिया तो वकीलों को भी संघर्ष के मैदान में उतरना पड़ा। संसद के समक्ष वकीलों द्वारा किये गए प्रदर्शन के समय पुलिस ने जिस बर्बर ढंग से हमला किया उसके चलते अनेक वकील घायल हो गए। दिल्ली उच्च न्यायालय के वकीलों को अनिश्चितकाल के लिये हड़ताल करनी पड़ी जिसके कारण कई सप्ताहों तक उच्च न्यायालय का काम पूर्ण रूप से ठप्प रहा।

1.4 एन डी ए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के प्रबंधनों को निदेश दिया है कि वे अपनी-अपनी पुनर्गठन योजनाओं के लिये आवश्यक परामर्श लेने के उद्देश्य से विदेशी सलाहकार कम्पनियों से सहायता लें। इस प्रकार उसने भारत की सलाहकार कम्पनियों की पूर्णतया अनदेखी कर दी है जो न केवल अपने काम में अत्यंत दक्ष एवं कुशल हैं अपितु उनके शुल्क भी बहुत कम हैं।

1.5 आर्थिक गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में भारत सरकार ने विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का उत्साह वर्धन किया है जिसके कारण भारतीय निगमों को भारी क्षति झेलनी पड़ी है।

1.6 भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किया जा रहा स्वदेशी के ढोंग की पोल उसके द्वारा एक के बाद दूसरा इस प्रकार का कदम उठाए जाने के चलते, खुल गई है और यह सरकार जनता की प्रतिक्रिया की परवाह भी इस मामले में नहीं कर रही।

1.7 इंडियन एयर लाइन्स के हवाई जहाज का काठमण्डु से आपहरण कर लिये जाने की घटना ने इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के मामले में भारत सरकार की अयोग्यता को ही उभारा है; यह वायुयान कुछ समय के लिये अमृतसर में रुका था और उसे भारत की धरती से उड़ा कर कांधार ले जाया गया जहां अपहरणकर्ताओं की अपमानजनक शर्तों को मान कर वायुयान तथा उसमें सवार यात्रियों को मुक्त कराना पड़ा। भारत सरकार की स्थिति उस समय हास्यास्पद बन गई जब स्वयं उसके विदेश मंत्री को उन तालिबान की प्रशंसा करनी पड़ी जो वास्तव में अपहर्ताओं को शस्त्र देते थे। संयोगवश, भारत सरकार ने तालिबान सरकार की मान्यता नहीं दी है क्योंकि वह अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का गैर कानूनी ढंग से सत्ता पलट करने के लिये उत्तरदायी थी। विदेश मंत्री उन कट्टर आतंकवादियों को अपनी सुरक्षा में कांधार लेकर गए जो असंख्य निरपराध कश्मीरी लोगों की हत्याओं के लिए उत्तरदायी थे और उन्होंने वही आतंकवादी अपहर्ताओं को सौंप दिये। इसके पश्चात् सरकार द्वारा की गई जांच पड़ताल से पता चलता है कि आइ एस आइ तत्वों द्वारा विमान अपहरण की योजना भारत की धरती पर ही बनाई गई थी और भारत सरकार भारत की धरती पर इस प्रकार के तत्वों की गतिविधियों की रोकथाम करने में विफल रही है।

1.8 पाकिस्तान की ओर से घुसपैठिये भारी मात्रा में अत्याधुनिक शस्त्रों के साथ कश्मीर में प्रविष्ट हो रहे हैं किन्तु भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार इन घुसपैठियों की गतिविधियों को रोकने में विफल रही है।

1.9 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के शासनकाल में लगभग प्रतिदिन पाकिस्तान में प्रशिक्षित घुसपैठिये निर्दोष पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की हत्याएं कर रहे हैं। यहां तक कि अर्ध सैन्य बल भी नियमित रूप से उनके हमलों का निशाना बन रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार

आतंकवादियों की गतिविधियों की रोकथाम करने में बुरी तरह विफल रही है। केंद्रीय सरकार की नीतियों से कश्मीर की जनता में विरोध की भावना उत्पन्न हो रही है। सरकार द्वारा कश्मीर के विशेष दर्जे को स्वीकार करने से इन्कार करना स्थिति को और अधिक गम्भीर बना रहा है। फारूक अब्दुल्ला सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण राज्य की विशाल धन राशि राजनीतिज्ञों तथा नौकरशाहों की जेब में चली जा रही है और राज्य की विकास गतिविधियों को तो मानो अलविदा ही कह दिया गया है। यात्रियों का आवागमन बंद हो गया है और स्थानीय उद्योगों की नैय्या डूब चुकी है, इसके चलते कश्मीर की जनता की आर्थिक कठिनाईयां और अधिक बढ़ गई हैं। यद्यपि कश्मीर के लोग आतंकवादियों द्वारा मचाई गई लूट से तंग आ चुके हैं तथापि जम्मू कश्मीर की सरकार इस स्थिति का लाभ उठाने में सक्षम नहीं है। इसके विपरीत उसके द्वारा केंद्र में सत्तारूप साम्प्रदायिक सरकार का समर्थन किये जाने के दुष्परिणामस्वरूप कश्मीर के लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है।

1.10 भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने त्रिपुरा में आवश्यक सैन्य बलों को भेजने से इन्कार कर दिया है जबकि देश के इस उत्तर-पूर्वी राज्यों में बंगलादेश की ओर से निरंतर घुसपैठ हो रही है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र से बार-बार और अधिक सैन्य बलों को भेजने का अनुरोध किया है। राज्य में अर्ध सैनिक बलों को भेजने की अपेक्षा और केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्त्तव्य का समुचित पालन न करके उसके गृह मंत्री ने अत्यंत निर्लज्जतापूर्वक उल्टे राज्य सरकार की ही आलोचना कर दी और उस पर त्रिपुरा में आतंकवादी गतिविधियों को दबाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। भाजपा सरकार का यह दोगलापन इस मामले में स्पष्ट देखा जा सकता है। यहां तक कि त्रिपुरा सरकार ने पूरी सीमा पर कांटेदार तारों की बाड़ लगाने का अनुरोध भी केंद्र सरकार को किया था किन्तु उसकी आवाज केंद्र के बहरे कानों में पहुंच ही नहीं सकी।

1.11 देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में साम्प्रदायिक शक्तियों की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। इस क्षेत्र में अत्याधुनिक शस्त्र गैर कानूनी ढंग से लाए जा रहे हैं; इनके चलते वहां शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना ही दुष्कर कार्य बन कर रह गया है। भाजपा के सत्तारूढ़ होने के पश्चात् अल्फा तथा बोडो उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ी हैं जबकि हत्याएं एवं अपहरण इत्यादि घटनाएं नित्य प्रतिदिन की बात बन चुकी हैं। भाजपा क्षेत्र में सक्रिय कुछ विभाजक शक्तियों का उपयोग पार्टी के स्वार्थों की पूर्ति के लिये कर रही है।

1.12 केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पदारूढ़ होने के पश्चात् एक बार पुन: देश की एकता तथा अखण्डता के लिए खतरे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गुजरात सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में आर एस एस से प्रतिबंध उठा लेने के फलस्वरूप देश की धर्म निर्पेक्ष शक्तियों में प्रतिक्रिया हुई थी, संसद की कार्रवाई कई दिनों तक ठप्प रही इस प्रकार गुजरात सरकार के प्रतिगामी कदमों के विरुद्ध लोगों ने अपने आक्रोश को व्यक्त किया। भाजपा का एक वरिष्ठ सांसद द्वारा खुले रूप में आस्ट्रेलियाई मिशनरी तथा उसके दो अबोध बच्चों की हत्या करने वाले हत्यारे की कानूनी सहायता की गई। केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति दिये जाने पर भी हिन्दू शावनवादियों ने वाराणसी में ''वाटर'' फिल्म की शूटिंग होने नहीं दी। यह एक और घिनावना कांड है। उत्तर प्रदेश के भाजपा मुख्यमंत्री ने निर्लज्जतापूर्वक फिल्म के सैट की तोड़फोड़ करने वाले साम्प्रदायिक गुण्डों की कार्रवाई का समर्थन किया था। पुरातन पंथी शक्तियों द्वारा प्रतिशोध की कार्रवाईयां किये जाने के दुष्परिणाम स्वरूप वाराणसी में इस फिल्म की शूटिंग बंद कर देनी पड़ी थी।

1.13 विश्व हिंदू परिषद ने लापरवाही से काम लेते हुए घोषणा कर दी है कि राम मन्दिर का निर्माण वर्षांत से पूर्व शुरू कर दिया जाएगा। पत्थरों को तराशने का काम पहले ही अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बार-बार राम मंदिर के निर्माण हेतु अनुमति देने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यद्यपि भारत में इसके विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया होने पर उन्हें अपने वक्तव्य का खण्डन करना पड़ा। बजरंग दल तथा विश्व हिन्दू परिषद द्वारा सुनियोजित ढंग से यदा कदा काशी तथा मथुरा की मस्जिदों को भी तोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं जिसके अल्पसंख्यकों में चिन्ता पाई जाने लगी है।

1.14 मुरली मनोहर जोशी ने हमारी शिक्षा प्रणाली को जबरदस्त क्षति पहुंचाई है। पाठ्यक्रमों को बदल कर शिक्षा का साम्प्रदायीकरण किये जाने के फलस्वरूप हमारे देश के धर्मनिर्पेक्ष ढांचे की क्षति पहुंची है। इतिहास के शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिये आइ सी एच आर जैसे शोध संस्थानों में आर एस एस वालों को नियुक्त किया जाना हमारे देश की युवा पीढ़ी में साम्प्रदायिक विचारधारा का विष फैलाने के कुत्सित प्रयास किये जा रहे हैं। यही नहीं; शैक्षणिक संस्थानों का व्यापारीकरण होने के कारण उच्चतर तथा प्रौद्योगिकीय शिक्षा महंगी हो गई है। गरीब लोग चाह कर भी अपने बच्चों को उच्चतर शिक्षा दिलाने की स्थिति में नहीं रह गए हैं अर्थात् यह उनकी पहुंच के बाहर हो गई है।

1.15 हरियाणा, उड़ीसा, बिहार तथा मणिपुर की चार विधान सभाओं का चुनाव फरवरी 2000 में हुआ। हरियाणा तथा उड़ीसा में एन डी ए को निर्णायक बहुमत मिला। तथापि चुनाव पूर्व सर्वेक्षण कराने वाले लोगों द्वारा निरंतर भविष्य वाणियां किये जाने पर भी एन डी ए गठबंधन बिहार में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सका। बिहार के राज्यपाल विनोद पांडे ने केंद्र सरकार के कहने पर अल्पसंख्य दल समता पार्टी के नेता नितीश कुमार को सरकार बनाने का निमंत्रण इस आशा के साथ दिया कि शायद वह विधायकों की दलबदली करा कर अपने लिये बहुमत का जुगाड़ कर लें। तथापि उनकी यह खेल सफल नहीं हो सकी और विधान सभा के सत्र में नितीश कुमार अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सके। इसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे देना पड़ा। बिहार के राज्यपाल ने अपना अपमान स्वयं कराया और वह राबड़ी देवी को सरकार बनाने का नियंत्रण

देने के लिये विवश हो गए।

1.16 पूरे बिहार तथा देश के अन्य भागों में राज्यपाल को हटाने के लिये मांग उठाए जाने पर भी एन डी ए ने इस न्यायोचित मांगों को सुनने से ही इन्कार कर दिया और उसने निर्लज्जतापूर्वक अपने इस रुख का प्रदर्शन किया कि मानों उसे लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई परवाह ही नहीं है। जब राबड़ी देवी सरकार ने विधान सभा में विश्वास का मत प्राप्त कर लिया तो भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार ने सी बी आई का उपयोग करके राबड़ी देवी तथा लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में आरोप पत्र जारी करा दिया और इसके साथ ही राबड़ी देवी के त्यागपत्र की मांग के लिये अभियान चलाया गया। इस मामले में भी भाजपा सरकार की नीतियों का दोगलापन उजागर हो जाता है। जहां एक ओर एल के आडवानी तथा मुरली मनोहर जोशी बाबरी मस्जिद के विध्वंस के मामले में अपने विरुद्ध आरोप पत्र जारी होने पर भी सरकार में बने हुए हैं वहीं दूसरी ओर राबड़ी देवी से त्याग पत्र मांगा जा रहा है। भारत की जनता इस दोगलेपन को स्पष्ट रूप से देख रही है। भाजपा नेताओं द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि आडवानी तथा जोशी के विरुद्ध राजनीतिक कारणों से आरोप पत्र जारी किये गए थे, उनका यह तर्क हास्यास्पद है, वे एक अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थल का विध्वंस करने की आपराधिक कार्रवाई में संलिप्त थे।

1.17 भाजपा का अनैतिक व्यवहार नितीश कुमार तथा एन डी ए के अन्य सहयोगियों द्वारा भ्रष्ट हथकण्डों का उपयोग करके दूसरे विधायकों को अपने साथ गांठने के लिये किये जाए प्रयासों में भी देखा जा सकता है। केंद्र में सत्तारूढ़ दल के हितों के अनुकूल राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया गया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में चैम्पियन होने का भाजपा सरकार का दावा उस समय खोखला सिद्ध हुआ जब केंद्रीय सरकार ने प्रतिरक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के मामले में धीमी गति से कार्रवाई की क्योंकि स्वयं उसकी (भाजपा) अपनी सरकार प्रतिरक्षा उपकरणों एवं मंत्रों की खरीद कर रही है।

1.18 पश्चिम बंगाल में राज्य सभा चुनावों में कांग्रेसी प्रत्याशी की पराजय तथा कांग्रेस (आइ) विधायकों द्वारा दल बदल किये जाने के फलस्वरूप तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी का निर्वाचित हो जाने के चलते ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में पिछले 23 वर्षों से सत्तासीन वाम मोर्चा सरकार को पराजित करने के लिये महाजोत (महान गठबंधन) का संकेत दिया है। यद्यपि इस गठबंधन का अंतिम स्वरूप अभी उभर कर सामने नहीं आया है तथापि कांग्रेस तथा भाजपा ने खुले रूप में वाम मोर्चा सरकार की प्रगतिशील नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने के उद्देश्य से मिल कर काम करने के लिये अपनी स्वीकृति दे दी है। इस गठबंधन की सिद्धांतहीन प्रकृति इन दोनों राष्ट्रीय दलों के विचारधारात्मक दावों को ताक पर रख दिया है। यदि यह अवसरवादी गठबंधन सिरे चढ़ जाता है तो उसके दुष्परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी की धर्म निर्पेक्ष छवि धूमिल पड़ जाएगी और पूरे भारत भर में उसका जनाधार में भारी कमी आ जाएगी।

1.19 पश्चिम बंगाल में दायर किया गया हाल ही के फौजदारी मुकद्दमा जिसमें तृणमूल नेता एक तृणमूल पार्षद की हत्या में संलिप्त हैं, प्रकाश में आया है। इससे पता चल जाता है कि अब तृणमूल ने राज्य में अंडर वर्ल्ड के साथ भी निकट सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं। ममता बनर्जी के इस आरोप का लोगों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा जिसमें उन्होंने इस हत्या में वाम मोर्चे का हाथ होने की बात कही थी। पुलिस ने हत्या के सभी सुरागों का पता लगा लिया है।

1.20 इस वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व सन्ध्या पर भारत के राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन ने देश की वर्तमान स्थिति को रेखांकित करते हुए जो भाषण दिया वह स्पष्टोक्तियों से परिपूर्ण था। उनके भाषण में उदारीकरण की नीति के जुए अथवा दासत्व के अन्तर्गत पीड़ा झेल रहे भारत के लाखों लाख श्रमजीवी लोगों की भावनाएं प्रतिबिम्बित हुई थीं। बढ़ती दरिद्रता, बेरोजगारी और बढ़ती असमानता के वातावरण में लोगों की वंचना पर राष्ट्रपति ने जिस चिन्ता भावना को व्यक्त किया था, उसकी देश भर में सराहना की गई थी। उन्होंने वर्तमान समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की बुराई का उल्लेख भी किया था। उनके द्वारा समाज के धर्म निर्पेक्ष स्वरूप अथवा ताने बाने पर हमला करने वाली पुरातन पंथी शक्तियों की जिस प्रकार आलोचना की गई, उन्होंने संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की जिस प्रकार रक्षा की थी वे वर्तमान राष्ट्रीय स्थितियों में भारी महत्व रखता है। भाजपा की सरकार राष्ट्रपति के इस स्पष्ट भाषण से बहुत परेशानी में फंस गई थी, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिये।

1.21 अमरीका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के समय भी भारत के राष्ट्रपति ने स्वयं क्लिंटन की उपस्थिति में स्पष्ट टिप्पणियां की थीं जिससे वाजपेयी सरकार को और परेशानी झेलनी पड़ी। तथापि, एन डी ए सरकार भारत के हितों को साम्राज्यवादी शक्तियों के आगे बेच देने की अपनी पैशाचिक योजनाओं पर आगे की कार्रवाई करने के लिये दृढ़ है। उसकी ये योजनाएं साम्राज्यवादी हितों के अनुकूल हैं। भाजपा तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हिन्दू शावनवाद को उभारने तथा अल्पसंख्यकों पर हमले करने की अपनी योजनाओं पर आगे की कार्रवाईयां कर रहे हैं जिससे देश की एकता तथा अखण्डता के आधार पर ही अंतत: आघात होगा। इन परिस्थितियों में श्रमिक वर्ग का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इन शक्तियों के हमलों का सामना करे। इस देश के लोगों को शिक्षित बनाने के लिये देशव्यापी शैक्षणिक तथा विचारधारात्मक अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है ताकि हमारे देश की समृद्ध धरोहर तथा उसके साथ-साथ उसकी धर्मनिर्पेक्ष साख को अक्षुण बनाए रखने के लिये देश के सभी देश भक्त तथा सहृदय लोगों को एक संयुक्त मंच पर इकट्ठा किया जा सके।

2. बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति

2.1 कार्य समिति की पिछली बैठक में हमने भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की पहली पारी के अंतिम चरण तथा दूसरी पारी के प्रारम्भिक चरण में देश के आर्थिक मोर्चे पर व्याप्त स्थिति की समीक्षा की थी। रिपोर्ट में बताया गया था, ''समग्र रूप में उदारीकरण ने पहले ही देश की अर्थ व्यवस्था को सभी मोर्चों पर विनाश तथा गिरावट के मार्ग पर धकेल दिया है। भाजपा की सत्ता के समय स्थिति और अधिक बिगड़ गई है। उसने स्वदेशी का मुखौटा पहन कर विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन के साम्राज्यवादी हथकण्डों के आगे नतमस्तक होकर प्रमाणित कर दिया है कि वह उनका सबसे बड़ा वफादार है और ऐसा करके उसने भारतीय अर्थ व्यवस्था की दासत्व की भट्ठी में झोंक दिया है। वास्तव में, उन्होंने देश की सेल लगा दी है।''

2.2 इस अवधि में आर्थिक मोर्चे पर वही अनिष्ट-सूचक रुझान बने रहे हैं; आर्थिक मोर्चे की लगभग सभी मूलभूत कारगुजारियां उल्लेखनीय गिरावट का संकेत ही देती हैं। इसके साथ ही एन डी ए शासक और अधिक उन्मत होकर कोष/बैंक गठबंधन की आर्थिक कार्यसूची को आगे बढ़ा रहे हैं जिसके और अधिक विनाशकारी दुष्परिणाम निकलेंगे।

2.3 1999-2000 के अंतिम भाग में औद्योगिक उत्पादन की स्थिति में सुधार होने के सम्बन्ध में गला फाड़ कर शोर मचाये जाने पर भी उस प्रगति की प्रकृति एवं संरचना का यदि हम गहराई के साथ अवलोकन करें तो उससे हमें किसी व्यापक आधार वाले सुधार का कोई लक्षण दिखाई देता अथवा यह भी दिखाई नहीं देता कि यह प्रगति चिरस्थायी रहेगी या नहीं। वस्तुस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है; ऊपर उल्लिखित सुधार अधिकतर स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में हुए हैं किन्तु पूंजीगत सामग्री के क्षेत्रों में उत्पादन और उसके साथ-साथ पूंजीगत सामान के आयात के क्षेत्रों में सुधार का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता; अस्थायी उपभोक्ता सामग्री को उत्पादन क्षेत्र की भी लगभग यही स्थिति है। इसलिये औद्योगिक उत्पादन में तथाकथित वृद्धि उपरोक्त उछाल का आधार अत्यंत संकीर्ण तथा एकपक्षीय है और इसलिये यह बना नहीं रह सकता; इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था तथा रोजगार को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी इसका बहुत कम प्रभाव पड़ेगा।

2.4 कृषि के क्षेत्र में कुल उत्पादन में गिरावट प्रतिबिम्बित हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण (1999-2000) बताया गया था कि चालू वर्ष में देश में अनाजों के उत्पादन में 40 लाख टन की कमी होगी और कृषि उत्पादन की निम्नतर वृद्धि के फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन की आंशिक वृद्धि भी धरी की धरी रह जाएगी और सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि पर इसका विषम दुष्प्रभाव पड़ेगा।

2.5 रोजगार परिदृश्य तीखी गिरावट का संकेत देता है। रोजगारों की हत्याएं अनियंत्रित कामबंदियों, ताला बंदियों (अधिकतर गैर कानूनी) के माध्यम से पूरे जोर शोर के साथ की जा रही हैं; इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजनाओं तथा मानव शक्ति के आकार को कम करने की अन्य विधियों को प्रयोग में लाया जा रहा है, पिछले एक वर्ष की अवधि में अकेले संगठित क्षेत्र जिसमें सार्वजनिक उपक्रम भी सम्मिलित है; में ही दो लाख से अधिक रोजगारों की क्षति हुई। केवल कपड़ा क्षेत्र में ही 57000 से अधिक रोजगारों की क्षति हुई। असंगठित क्षेत्र में स्थिति अब भी खराब है।

2.6 सरकारी प्रवक्ताओं द्वारा मुद्रा स्फीति की गिरती दरों के सम्बन्ध में बहुत शोर मचाया जा रहा है, किन्तु वास्तविकता कुछ और ही है; माध्यमिक अवधियों में जन साधारण के उपयोग में आने वाली अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुएं और अधिक महंगी हो गईं; पिछले चुनावों के तत्काल पश्चात डीजल के मूल्यों में 40 प्रतिशत वृद्धि किये जाने के कारण इन उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में और भी जबरदस्त वृद्धि हुई है; उसके साथ मिट्टी के तेल, रसोई गैस तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित होने वाली सभी खाद्य सामग्रियों के मूल्यों में भी तीखी वृद्धि की जा चुकी है।

वर्ष 2000-01 का बर्बर बजट

2.7 भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार और अधिक जोर-शोर से आर्थिक सुधारों के कोष/बैंक सिद्धांतों का अनुपालन करने के मामले में किस सीमा तक धैर्यहीन हो चुकी है यह तथ्य वर्ष 2000-2001 के बजट में प्रतिबिम्बित होता है। वित्त मंत्री ने बजट से पूर्व देशवासियों को आह्वान किया था कि वे कठोर बजट का सामना करने के लिये तैयार रहें; यह कठोर बजट अब आ चुका है। जैसी कि सम्भावना थी जन साधारण के कंधों पर करों का भारी बोझ डाल दिया गया है, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा कारोबारी घरानों की लाबी को देना आर्थिक स्वास्थ्य के मूल्य पर भारी रियायतें तथा राहत देकर निहाल कर दिया है।

2.8 बढ़ती दरिद्रता और विशेष रूप से ग्रामीण जनगण में की स्थिति और अधिक बिगड़ जाने की पृष्ठभूमि में खाद्य सामग्रियों पर दी जाने वाली सब्सिडी में 1100 करोड़ रुपये से अधिक अथवा 12 प्रतिशत तक कमी कर दी गई है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को अब गेहूं तथा चावल के लिये 64 प्रतिशत तथा 46 प्रतिशत अधिक मूल्यों का भुगतान करना होगा (गेहूं के मूल्य 2.50 रुपये से बढ़ाकर 4.10 रुपये प्रति किलो जबकि चावल के मूल्य 3.50 रुपये से बढ़ा कर 5.10 रुपये प्रति किलो कर दिये गए हैं); बढ़ाए गए मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली

के माध्यम से गरीबों को दिये जाने वाले खाद्यान्नों के हैं। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले दरिद्रजनों के लिये खाद्यान्नों के मूल्यों में इस भारी-भरकम वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित करने हेतु खाद्यान्नों का कोटा दोगुणा कर देने का प्रावधान इन दरिद्रजनों के साथ क्रूर मजाक करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

2.9 बजट ने न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्षति पहुंचाई है अपितु पहले से ही पिछड़ रहे खाद्यान्न क्षेत्र की प्रगति की सम्भावनाओं को भी धूमिल कर दिया है; और इस प्रकार देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल दिया गया है। सब्सिडियों में भारी कमी करके उर्वरकों के मूल्य बढ़ाने, तथा ग्रामीण विकास के खर्चों को कम करने और ढांचागत सेवाओं के लिये उपयोग की सेवा दरों को लागत पर आधारित किये जाने के चलते कृषि उत्पादन में पहले से ही धूमिल स्थिति पर विषम दुष्प्रभाव पड़ेगा।

2.10 यही नहीं, जहां अधिकांश कृषि उत्पादों को अप्रैल 2000 से मुक्त-आयात वस्तुओं की सूची में लाया जा चुका है जिसका आश्वासन सरकार ने विश्व व्यापार संगठन को दिया था, वहीं वर्तमान बजट के माध्यम से इन वस्तुओं पर आयात शुल्क में अधिकतम कमी किये जाने के दुष्परिणामस्वरूप भारतीय कृषि के उत्पाद आयातित उत्पादों की तुलना में अत्यंत अलाभकारी स्थिति में आ जाएंगे और भारत स्वदेशी उत्पादों के लिये बाजार सिकुड़ जाएंगा और देश में कृषि उत्पादन के क्षेत्र के साथ सम्बन्ध रखने वाली जनसंख्या की आय कम हो जाएगी।

2.11 वर्तमान स्वदेशी मार्का सरकार ने जहां सीमा शुल्क में 1400 करोड़ रुपये तक की कमी की है वहीं दूसरी ओर उसने आबकारी शुल्क में 3250 करोड़ रुपये की वृद्धि करके उसका बोझ भारतीय उत्पादकों के कंधों पर डाल दिया है—उसने यह सारा काम यौक्तिकरण अर्थात् राशनलाइज़ेशन के नाम पर किया है और जानबूझ कर भारतीय उद्योगों को विदेशी उत्पादकों के साथ अलाभकारी प्रतिस्पर्धा की स्थिति में धकेल दिया गया है।

2.12 पिछले वर्ष (1999-2000) में पूंजीगत व्यय के क्षेत्रों विशेष रूप से कृषि तथा ग्रामीण विकास में योजनागत व्यय में उल्लेखनीय कमी किये जाने के परिणामस्वरूप व्यापक आधार पर देश के सामान्य औद्योगिक विकास की सम्भावनाएं और अधिक धूमिल हो गई हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में एक बार पुन: कुल 6513 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का 80 प्रतिशत भाग प्रतिरक्षा के लिये रखा गया है और शेष अर्थव्यवस्था के लिये उसका बहुत कम भाग छोड़ा गया है।

2.13 वित्त मंत्री ने वित्तीय संस्थानों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिये अपने बजट भाषण में बड़ी बड़ी बातें की हैं, किन्तु वह राष्ट्रीयकृत बैंकों की ''बट्टे खाते पड़ी'' 58000 करोड़ की विशाल परिसम्पत्ति (अर्थात् राशि) की वसूली के प्रश्न पर पूर्णतया मौन रहे जिसे अधिकर बड़े कारोबारी घरानों ने हड़प लिया है और इसके लिये उनहें दण्ड का कोई भय नहीं। बजट में राष्ट्रीय बैंकों में सरकार के दावे अर्थात् भागीदारी को कम करने अर्थात् अल्पसंख्यक स्तर तक ले आने की घोषणा भी की है वित्त मंत्री ने इस पर भी राष्ट्रीयकृत बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने सम्बन्धी बड़ी बड़ी बातें की हैं।

2.14 इस बजट ने वित्तीय क्षेत्र में लगभग सभी नियामक तंत्रों को भंग कर दिया है और पूंजी के बहिर्वाह तथा अन्तर्वाह का और अधिक उदारीकरण कर दिया है ताकि उससे सट्टा बाजारियों को लाभ मिले। सरकार का यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये घातक है। उसने विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा एक्विटी धारण की अनुमत्य सीमा को भी बढ़ा दिया है और उद्यमी पूंजी को भारी रियायतें दे दी हैं; इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के लिये तथाकथित स्वायत्तता प्रदान करने के नाम पर अर्थव्यवस्था के मौद्रिक प्रबंधन पर संसद के नियंत्रण को समाप्त कर दिया है। इन सभी कदमों के दृष्टिगत वित्तीय क्षेत्र में बजट की वर्तमान कसरत से सट्टा बाजार तथा जुए की गतिविधियों को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने अर्थ व्यवस्था के स्वस्थ्य को स्टाक मार्किट के मूल्यों के समान स्तर पर रखा है जबकि उसे विश्वभर में जुआ घर की अर्थव्यवस्था (अर्थात् पूंजीवाद) के रूप में जाना जाता है।

2.15 बढ़ते वित्तीय घाटे के दृष्टिगत सरकार ने करों से बचने वाली बड़े कारोबारी घरानों की लाबी को और अधिक राहत तथा रियायतें देना और डीजल के मूल्यों तथा अप्रत्यक्ष करों के बोझ को बढ़ा कर एवं सब्सिडी इत्यादि में कटौतियां करके जन साधारण की जेबों पर डाका डालना ही उचित समझा है। आबकारी शुल्कों का यौक्तिकरण करने के नाम पर दैनिक उपयोग की अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं पर आबकारी शुल्क का बोझ बढ़ा दिया गया है और अनेक मामलों में उसे दोगुणा कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार बड़े कारोबारी घरानों की लाबी को यहां तक अनुमति प्रदान कर दी है कि वे स्वयं अपनी ओर से देय आबकारी शुल्क का निर्धारण एवं मूल्यांकन और उसकी घोषणा करें; सरकार उसकी जांच नहीं करेगी क्योंकि आबकारी विभाग द्वारा उनकी जांच करने की व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया गया है इसके फलस्वरूप बड़े कारोबारी घराने बढ़ाए गए आबकारी शुल्क को सरकारी कोष में जमा कराने की अपेक्षा उसके बड़े भाग को ही हड़प कर जाएंगे जिसे उन्होंने उपभोक्ताओं से वसूला होगा।

2.16 सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन द्वारा मांग किये जाने पर भी आय कर में छूट की सीमा नहीं बढ़ाई गई; इसका दुष्प्रभाव श्रमिकों तथा कर्मचारियों पर पड़ा है और यहां तक कि संगठित क्षेत्र में कार्यरत अकुशल श्रमिक भी आय कर का भुगतान करने के लिये विवश हुए हैं। बजट में खर्चों पर नियंत्रण करने की कार्रवाई का लक्ष्य श्रमिकों तथा जन साधारण को बनाया गया है और सभी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों

इत्यादि की सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज की दर कम कर दी है; कर्मचारी भविष्यनिधि पर भी इसी प्रकार का हमला किया जाएगा सरकार की इस कार्रवाई से यह संकेत मिलता है।

2.17 दूसरी ओर कर चोरी करने वाले कारोबारियों एवं व्यापारियों पर उनके न्यूनतम आल्टरनेट (वैकल्पिक) कर को कम करके, छूटों की उदारता से की गई है, नये उद्यमों तथा अनेक अन्य कारोबारी लोगों के लिये कर-अवकाश के क्षेत्र का विस्तार किया गया है। इससे उनके लाभों में बढ़ोतरी होगी। बजट में कृषि फार्मों पर कुछ कर लगा कर लोगों को धोखा देने तथा उनमें भ्रांतियां उत्पन्न करने का प्रयास भी किया गया है। क्योंकि वित्त मंत्री ने कृषि कार्यों से जुड़े उन फार्म हाडसिज़ को उक्त कर जाल से बाहर रखने के लिये आय कर की परिधि से बाहर रखने के सम्बन्ध में स्पष्ट वक्तव्य दिया था। इससे बड़े भूमि पतियों तथा कृषि फार्म मालिकों को आय कर के भुगतान से बच निकलने का मार्ग मिल जाएगा।

2.18 बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उपक्रमों का पुनरुद्धार नहीं करने तथा उनके पुनरुद्धार के लिये धन का आबंटन नहीं करके उनकी कामबंदियों के मार्ग को प्रशस्त करने सम्बन्धी सरकार के निर्णय को पुन: दोहराया गया है। बजट में लाभ पर चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों का पूर्ण निजीकरण करके देश की इस बहुमूल्य सम्पदा को बेच देने की घोषणा को भी पुन: दोहराया गया है।

2.19 क्लिंटन की भारत यात्रा के तत्काल पश्चात् दो वर्षों में सभी आयातों का पूर्ण उदारीकरण करने तथा अप्रैल 2001 तक सभी मात्रात्मक प्रतिबंधन समाप्त कर देने सम्बन्धी घोषणा के साथ ही इस सरकार की बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रति भक्तिभाव और भी स्पष्ट हो गया है अर्थात् उसने अपने स्वदेशी मार्का को ही उनके पास गिरवी रख दिया है। आयातों की नकारात्मक सूची में दर्ज 714 वस्तुओं को पहले ही अप्रैल 2000 से मुक्त कर दिया गया है और शेष 715 वस्तुओं को अगले वर्ष अप्रैल मास से मुक्त-आयात की सूची में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इन वस्तुओं में लगभग सभी कृषि उत्पाद तथा उपभोक्ता वस्तुएं सम्मिलित हैं। उतरोत्तर वर्षों में मुक्त आयात के साथ-साथ सीमा शुल्क में भारी कमी होने के कारण देश के अनेक उद्योगों तथा भारतीय कृषि पर दुष्प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस पूरी कार्रवाई से देश के मैन्युफेक्चरिंग आधार का जबरदस्त क्षरण होगा और वे बहुराष्ट्रीय के उत्पादों के लिये विक्रेता अभिकरण अथवा दुकानदार मात्र ही बन कर रह जाएंगे।

2.20 दिनांक 3 अप्रैल, 2000 के 'द इकनामिक टाइम्स' में ओलिव आयल के यूनिलीवर उत्पादों; मस्टर्ड सोस, फास्ट फूड के अन्य अवयवों तथा सौंदर्य प्रसाधनों इत्यादि का आयात करने सम्बन्धी हिनदुस्तान लीवर के निर्णय से सम्बन्धित एक समाचार प्रकाशित हुआ है। ये आयात 400 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं के किये जाएंगे। हिन्दुस्तान लीवर ने यह निर्णय सरकार द्वारा हाल ही में आयात-निर्यात नीति की घोषणा किये जाने के तत्काल पश्चात् लिया है। इसी प्रकार की कार्रवाई भारत में काम करने वाले अन्य बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा भी किये जाने की सम्भावना है जो देश में कारखाने चलाने तथा भारत की धरती पर उनकी बिक्री करने के काम को ही अधिमान देंगे।

2.21 अंकटाड द्वारा जारी की गई व्यापार एवं विकास रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व व्यापार में भारत सहित सभी विकासशील देशों का भाग धीरे-धीरे कम होता चला जा रहा है और जी-7 के शक्तिशाली देशों के बाजार में भारत के निर्यात योग्य उत्पादों की पहुंच निरंतर कम होती चली जा रही है। उदारीकरण की नीति शुरू होने के बाद की सम्पूर्ण अवधि में भारत विश्व व्यापार में अपना भाग निरंतर खोता चला जा रहा है। यह स्थिति चाय, मसालों, बुने हुए सूती धागों, लच्छी धागों तथा अन्य प्राथमिक उत्पादों के मामले में भी जहां पहले कभी भारत की उल्लेखनीय उपस्थिति होती थी, में भी चल रही है।

2.22 दूसरी ओर भारत की धरती पर चलने वाली विदेशी कम्पनियों के निर्यातों सम्बन्धी कारगुजारी दर्शाती है कि ये विदेशी कम्पनियां वस्तुत: तथाकथित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम पर उससे कहीं अधिक संसधानों को बाहर भेज रही हैं जिन्हें वे भारत लाईं थीं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये आंकड़ों से पता चलता है कि ये विदेशी कम्पनियां उससे कहीं उत्पाद भारतीय बाजार में बेचती हैं जिनका निर्यात उन्होंने किया था; इस प्रकार वे स्वयं हमारे ही देश के उत्पादकों को उनकी अपनी धरती से खदेड़ रही हैं। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जो विदेशी मुद्रा निर्यात के माध्यम से देश में लाईं थीं उससे कहीं अधिक विदेशी मुद्रा उपकरणों के आयात, परामर्श शुल्कों के रूप में तथा विभिन्न हथकण्डों के द्वारा वापस अपने देश में भेज चुकी हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से सम्बन्धित कम्पनियों के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 1994-95 के पश्चात् भारत में काम करने वाली एफ डी आइ कम्पनियों द्वारा किये गए निर्यात की अपेक्षा आयातों की सघनता 100 प्रतिशत से भी कहीं अधिक रही है (107 प्रतिशत से लेकर 177 प्रतिशत तक)। इसका अर्थ है उनके कार्य प्रदर्शन के फलस्वरूप भारत की धरती से संसाधनों का शुद्ध बहिर्वाह अधिक हो रहा है। यह भारत के आर्थिक हितों के लिये घातक हैं। किन्तु अब भी भारत के शासकों ने अपने विदेशी आकाओं की सेवा करने की ललक में इसके कारणों पर विचार करने से इनकार कर रहे हैं।

2.23 उदारीकरण की प्रक्रिया जिस गति से चल रही है, उसके साथ ही साथ श्रमिक वर्ग को सर्वाधिक घृणित शोषण का लक्ष्य बनाया जा रहा है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में जारी आंकड़ों और केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन के नवीकृत आंकड़ों के अनुसार 1990-91 की अवधि में श्रमिकों द्वारा उत्पादित उत्पादों के वास्तविक मूल्य में 39 प्रतिशत तक वृद्धि हुई वहीं श्रमिकों के वास्तविक वेतनों में केवल 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (श्रमिकों के वेतनों में थाक मूल्य सूचकांक के द्वारा कमी हुई) और रोजगार पर लगी कुल श्रम शक्ति में अस्थायी/संविदा श्रमिकों को संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है।

2.24 इसके साथ ही साथ सरकार द्वारा उठाये गए प्रत्येक नीतिगत कदम की रूपरेखा बड़े कारोबारियों तथा व्यापारियों और उनके साथ विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों और उनके साथ विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों को जबरदस्त लूट मचाने की अनुमति देने की दृष्टि से ही बनाई गई थी। नब्बे के दशक के प्रारम्भ में 300 बड़ी कम्पनियों के कार्य प्रदर्शन पर 'द इकनामिक टाइम्स' में एक अध्ययन का प्रकाशन 5-1-2000 को किया गया था। उसमें बताया गया था कि कार्पोरेट घरानों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारी भरकम लाभ अर्जित किया; यह लाभ उनके द्वारा भौतिक उत्पादन तथा सेवाओं में दिये गए योगदान में कहीं अधिक था। इसी लिये उनके उत्पादों की शुद्ध बिक्री की अपेक्षा उनके शुद्ध लाभ में कहीं अधिक तेजी के साथ वृद्धि हुई है। पिछले दस वर्षों में बहुराष्ट्रीय निगम अपनी शुद्ध बिक्री को 322 प्रतिशत तक बढ़ा सके हैं जबकि उनके आबकारी शुल्क के भगुतान में केवल 192 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारतीय कार्पोरेट घरानों की शुद्ध बिक्री में 303 प्रतिश की वृद्धि हुई; इसकी तुलना में उन्होंने आबकारी शुल्क की अपनी देनदारी को केवल 222 प्रतिशत बढ़ाया है। इसी अवधि में बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अपने सकल लाभ में 369 प्रतिशत की वृद्धि की गई; इसके विपरीत केवल 305 प्रतिशत तक बढ़ी और भारतीय कार्पोरेट घरानों के लिये प्रत्यक्ष कर के भुगतान में केवल 223 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसके विपरीत उनके सकल लाभ में 336 प्रतिशत तक वृद्धि दज्र की गई। इससे पता चल जाता है कि बड़ कारोबारी घराने तथा बहुराष्ट्रीय निगम किस सीमा तक कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं और कुल मिला कर सरकार की राजस्व वसूली उसकी आशाओं से कहीं कम हुई है।

2.25 समग्र रूप में उदारीकरण का विवेकहीन अनुसरण किया जाना देश की अर्थ व्यवस्था को विनाशक के मार्ग पर धकेल रहा है। सकल घरेलू बचतों की विकास दरों, निवेश, पूंजी के शुद्ध प्रवाह में गिरावट, बढ़ती बेरोजगारी तथा गरीबी के बिगड़ते स्तर और इसके साथ साथ बहुराष्ट्रीय निगमों एवं बड़े कारोबारी घरानों के लाभों में अभूतपूर्व वृद्धि के रूप में इन अनिष्ट सूचक लक्षणों को देखा जा सकता है।

3 राष्ट्रीय जनसंगठन मंच की गतिविधियां

3.1 सी आई टी यू कार्यसमिति की जयपुर में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था कि सी आइ टी यू श्रमिक संघों की प्रायोजित समिति में सम्मिलित अन्य सहयोगी घटकों के साथ विचार विमर्श करके देश व्यापी आंदोलन चलाने की दिशा में काम करेगा जिसमें सरकार की राष्ट्र विरोधी नीतियों के विरुद्ध हड़ताल की देशव्यापी कार्रवाई भी सम्मिलित है।

3.2 राष्ट्रीय जन संगठन मंच की एक बैठक 14 दिसम्बर 1999 को बुलाई गई थी। मंच ने भाजपा सरकार की विनाशकारी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष के कार्यक्रमों पर विचार किया। उसमें अधोलिखित कार्यक्रम बनाया गया था:

* 20 जनवरी, 2000 को नयी दिल्ली में राष्ट्रीय जन संगठन मंच के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन,

* फरवरी के पश्चात् राष्ट्रीय जन संगठन मंच के राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन,

* अगले बजट सत्र के पहले चरण में संसद के समक्ष जन संगठनों की विरुद्ध जन सभा और,

* संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में देशव्यापी हड़ताल और उसके पूर्व विभिन्न जन संगठनों द्वारा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह, पदयात्रा धरना कार्यक्रमों का आयोजन करना।

3.3 राष्ट्रीय जन संगठन मंच की एक और बैठक 6 जनवरी 2000 को हुई जिसमें संघर्ष के उपरोक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया।

3.4 राष्ट्रीय जन संगठन मंच का अखिल भारतीय सम्मेलन 20 जनवरी 2000 को नयी दिल्ली में हुआ, उसमें 5000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा था।

3.5 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के श्रमिकों तथा अभियंताओं, गोदी एवं बंदरगाह श्रमिकों और राजस्थान तथा जम्मू एवं कश्मीर के राज्य सरकारी कर्मचारियों के हड़ताली संघर्षों ने सम्मेलन के प्रतिनिधियों में जोश एवं उत्साह का संचार किया था।

3.6 राष्ट्रीय जन संगठन मंच के सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें श्रम जीवी जनता की सभी श्रेणियों की 23 सूत्रीय मांगों का समावेश किया गया था, यह घोषणा पत्र भावी अभियान एवं आंदोलन का आधार बना। इसने सभी जनसंगठनों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने वाले देशव्यापी जन आंदोलन के एक नये चरण का सूत्रपात किया। इस आंदोलन के दो लक्ष्य निर्धारित किए गए केंद्र में सत्तारूढ़ एन डी ए सरकार के साम्प्रदायिक हथकंडों की पराजय तथा आर्थिक नीतियों को बदलना। सम्मेलन ने 9 मार्च 2000 को संसद की ओर विशाल मार्च का आह्वान किया।

3.7 राष्ट्रीय जन संगठन मंच के अनेक राज्य एवं जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया जिनमें मंच के सभी घटकों की अपने-अपने क्षेत्रों में उत्साहवर्धक भागीदारी रही। अन्य अनेक संगठनों जो अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय जन संगठन मंच के अंग नहीं हैं, ने आगे बढ़कर

इस सम्मेलन में भाग लिया तथा इन संघर्षों को और व्यापक बनाने में अपना योगदान दिया है।

3.8 सी पी एस टी यू के आह्वान पर 2 फरवरी 2000 को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा देश भर में एक दिवसीय हड़ताल सफलतापूर्वक की गई। इसके फलस्वरूप सभी स्थानों में संघर्ष करने वाले श्रमिकों में एक नये उत्साह का संचार हुआ। विभिन्न जन संगठनों ने अपनी-अपनी समस्याओं को लेकर क्षेत्रवार संघर्ष चलाए गए। इनके फलस्वरूप भाजपा सरकार द्वारा जनमत की घोर अवहेलना करके उठाए जा रहे जनविरोधी कदमों के विरुद्ध जन प्रतिरोध की संभावनाओं में वृद्धि हुई है।

3.9 इन सभी संघर्षों में जहां कभी भी सी आइ टी यू समितियों द्वारा उपयुक्त पहलकदमी की गई वहां संघर्ष तथा अभियान में और अधिक तेजी लाने में सफलता मिली है। जनरल कौंसिल के सदस्यों की आलोचनात्मक दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर हमारे जन संगठनों द्वारा निभाई गई भूमिका की समीक्षा करनी चाहिये और इस प्रक्रिया में उभर कर सामने आईं दुर्बलताओं को दूर करने के लिये प्रयास करने चाहियें।

3.10 नयी दिल्ली के रामलीला मैदान में 9 मार्च 2000 को आयोजित विराट जनसभा को भारी सफलता मिली। लामबंदी की दृष्टि से सी आइ टी यू की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। सी आइ टी यू के केंद्रीय सेक्रेटेरियट ने इसे सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य समितियों, औद्योगिक महासंघों तथा सम्बन्ध यूनियनों द्वारा किये गये प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्हें इसके लिये बधाई दी है। कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के भ्रातृ महासंघों और अन्य जन संगठनों ने भी इस जनसभा की सफलता में भारी योगदान दिया था।

3.11 इसी प्रकार 9 मार्च की जनसभा में भाग लेने वाले सभी घटकों द्वारा करतल ध्वनि से 11 मई 2000 की देशव्यापी हड़ताल के आह्वान पर प्रत्युत्तर दिया था। राष्ट्रीय जन संगठन मंच सरकार की आर्थिक नीतियों तथा सांप्रदायिकता विरोधी संयुक्त संघर्ष का और अधिक कम्पायमान मंच बन चुका है। हमें प्रत्येक स्तर पर राष्ट्रीय जन संगठन मंच को सुदृढ़ बनाना चाहिये ताकि आर्थिक नीतियों तथा सांप्रदायिकता विरोधी संघर्ष के प्रभाव को जनवादी, धर्म निर्पेक्ष तथा देशभाव जनता की ओर अधिक व्यापक श्रेणियों में फैलाया जा सके।

4. सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त करने की कार्रवाई तेज हुई

4.1 अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 22.9.1999 को वाशिंगटन में जारी ''वर्ल्ड इकानामिक आउटलुक'' में ''दूसरी पीढ़ी'' के आर्थिक सुधारों पर कहा गया है:

''नयी सरकार (भारत सरकार) के शीर्ष प्राथमिकता सार्वजनिक क्षेत्र में सुधारों के अतिरिक्त राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के निजीकरण में तीव्र प्रगति को प्राथमिकता देना और इसके साथ ही श्रम बाजार की लोचनीयता को बढ़ाने के लिये कदम उठाना है।''

4.2 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने चुनाव घोषणापत्र में आश्वासन दिया था कि वह सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पूंजीविनिवेश की कार्रवाई के लिए एक वैधानिक अथवा कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। अत: वाजपेयी सरकार ने एक नये मंत्रालय अर्थात् पूंजीविनिवेश विभाग की स्थापना कर डाली है। इसके फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के परिसमापन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक खतरनाक मोड़ मिल गया है। यह मांग देश के बाहर तथा देश के भीतर विद्यमान निजी इजारेदार पूंजी द्वारा बहुत समय से की जा रही थी। इसलिए 11-12-99 को नयी दिल्ली में निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों पर निजी उद्योगों के पुरोधाओं को साथ लेकर आठ विभिन्न दलों (अथवा समूहों) का गठन करने की घोषणा कर दी थी। ऐसा ही एक दल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के शेयरों के पूंजीविनिवेश पर बनाया गया है। इन दलों के मुखिया कुमारामंगलम बिरला, मुकेश अम्बानी, राहुल बजाज, जी पी गोयनका, रतन टाटा, तुलसी वाडिया, संजीव गोयनका, ए सी मुथीया तथा नारायण मूर्ति जैसे उद्योगपति होंगे। इसलिये स्पष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के विरुद्ध यह हमला वित्तीय अथवा प्रबंधकीय समझदारी से नहीं किया जा रहा अथवा उससे निदेशित नहीं है, किन्तु क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष /विश्व बैंक / विश्व व्यापार संगठन जिनकी पीठ अमरीका के नेतृत्व में समृद्ध देशों द्वारा थपथपाई जा रही है, द्वारा यह विचारधारात्मक रुख अपनाया गया है कि विश्व भर में कहीं भी सार्वजनिक क्षेत्र नहीं होना चाहिए, इसीलिए यह हमला किया जा रहा है। निजी क्षेत्र के दैव चाहते हैं कि विश्व की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो और वे इसके मार्ग में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की सांकेतिक उपस्थिति को भी सहन नहीं करेंगे।

4.3 जहां साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा इस प्रकार के हमले किये जा रहे हैं वहीं वाजपेयी को अपने मंत्रिमंडल में सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी मंत्री के साथ टकरा जाने में भी कोई संकोच नहीं हुआ। वह 2 अप्रैल, 2000 को विज्ञान भवन में सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आज सार्वजनिक इकाईयों की भूमिका तथा पूंजीविनिवेश के प्रश्न पर अपने सहयोगी भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री मनोहर जोशी के साथ तीखा मतभेद व्यक्त किया।'' जोशी का अपराध उनके शब्दों में इस प्रकार था, ''कार्य दक्षता स्वामित्व पर निर्भर नहीं करती। देश में दक्ष सार्वजनिक उपक्रम है और ऐसे सार्वजनिक उपक्रम भी हैं जो अपने कार्य में इतने दक्ष अथात् कुशल नहीं हैं, इसी प्रकार निजी क्षेत्र में सफल कम्पनियां भी हैं और असफल कम्पनियां भी ....क्या यह कहना ठीक नहीं होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र हमारे देश के आर्थिक विकास का प्रमुख

संचालक रहा है ? क्या यह कहना ठीक नहीं होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र देश में सामाजिक सुरक्षा का गारंटीदाता रहा है।'' जोशी ने अपने भाषण में रोजगार का सृजन करने के काम में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों की भूमिका पर बल दिया था। जोशी की बात को काटते हुए वाजपेयी ने कहा, ''वे लोग जो बिना सोचे समझे हमारी पूंजी विनिवेश की नीति की आलोचना करते हैं, उनके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा में धकेल कर उनमें नवजीवन का संचार करने की यह एक सुविचारित रणनीति है....''

4.4 निजी इजारेदार पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी उग्र प्रकृति का नग्न प्रदर्शन उनके द्वारा नियंत्रित प्रिंट मीडिया में किया जाता रहा है। द इकानामिक टाइम्स के 3 अप्रैल के अंक में एक समाचार प्रकाशित किया गया है। समाचार का शीर्षक है — ''मनोहर जोशी के लिए वाम पक्षी भी कभी कभार ठीक हो सकते हैं'' आज उसने रेखांकित किया, ''हो सकता है कि उनका कोई गुप्त उद्देश्य नहीं रहा हो, किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि जोशी निजीकरण के मूल तर्क से सहमत नहीं लगते....और वह प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इस प्रकार के समाजवादी विचारों को व्यक्त कर रहे थे...ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता लम्बे समय से इन विचारों की अभिव्यक्ति करते रहे हैं.... इस प्रकार की स्थिति में क्या कोई यह आशा कर सकता है कि यह सरकार निजीकरण के अभियान में सफल होगी... ? परिणाम: वे सभी अपनी बात अथवा कथन का अंत पुराने पढ़ चुके वामपक्षी दकियानूसी विश्वासों के साथ करते हैं।'' निहित स्वार्थ—सार्वजनिक क्षेत्र के शत्रु हमारी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के अस्तित्व पर इतने असहिष्णु हो चुके हैं और इतने अधिक धैर्यहीन हो चुके हैं कि यदि उनके समक्ष कोई सार्वजनिक क्षेत्र की मौखिक वकालत भी कर देता है तो उनका रक्त चाप स्वयंमेव बढ़ जाता है, वे बुदबुदाने लगते हैं और यहां तक कि मनोहर जोशी जैसे व्यक्ति के भीतर से भी वे ''साम्यवाद के भूत'' को बाहर निकाल लाते हैं।

4.5 'दूसरी पीढ़ी के सुधारों' का एक उल्लेखनीय पक्ष यह है कि उनमें सार्वजनिक क्षेत्र की लाभ पर चलने वाली ब्लू चिप कम्पनियों को ही प्रधान लक्ष्य बनाया गया है,उन्हें ''रतन'' कह कर अलंकृत किया गया है। यहीं नहीं अत्यंत सामरिक क्षेत्रों को भी दूसरी पीढ़ी के सुधारों की चपेट में ले आया गया है। उनमें से उल्लेख करने योग्य क्षेत्र तेल तथा पेट्रोलियम, ऊर्जा, दूर संचार, रेल, सड़क तथा वायु परिवहन, गोदी एवं बंदरगाह, वायु पत्तन (हवाई अड्डे) और नि:संदेह वित्तीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। हाल ही में दूसरी पीढ़ी के सुधारों की चपेट में लाई गई सार्वजनिक क्षेत्र की कुछेक बड़ी इकाईयों में सेल, कोयला, एन टी पी सी, एन एच पी सी, बी एच ई एल, आइ पी सी एल, एन एफ एल, जी ए आइ एल, इंडिया एयर लाइन्स, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इत्यादि सम्मिलित हैं। पुनर्गठन के नाम पर सरकार ने सेल के प्रबंधन को अपने विशेष इस्पात संयंत्रों जैसे एलोच स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट तथा भद्रावती स्टील प्लांट इत्यादि को बेच देने का निर्देश दिया है। यही नहीं उनके केप्टिव पावर प्लांट का भी पूंजीविनिवेश किया जा रहा है। किन्तु अंत यही पर नहीं हो जाता। सेल के शेष संयंत्रों को भी अलग-अलग विभागों के नाम पहले दो भागों में बांटा जाता है और फिर उन दोनों का निजीकरण कर दिया जाएगा। सरकार ने विजाग इस्पात संयंत्र का भी निजीकरण करने का निश्चय कर लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले के उत्खनन सम्बन्धी कार्यों का निजीकरण करने और कोयला खदानें निजी क्षेत्र को सौंपे देने का निर्णय लिया है। इस दिशा में उसे अगला कदम सरकार ने उठाने का निर्णय लिया है, वह कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन लाना है।

4.6 ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण की प्रक्रिया सार्वजनिक क्षेत्र के विरुद्ध नये हमलों के अन्तर्गत और तेज हो गई है। विश्व बैंक ने भारत सरकार के ऊर्जा सचिव के नाम 25 नवम्बर 1999 को लिखे एक पत्र में एन टी पी सी संयंत्रों का निजीकरण करने तथा पावर ग्रिड कार्पोरेशन का पूर्ण निजीकरण कर देने के लिये कहा था। राज्य विद्युत बोर्डों को तीन भागों में विभक्त करने की वर्तमान में चल रही प्रक्रिया के पश्चात् उनका विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित नुस्खे के अन्तर्गत निजीकरण कर दिया जाएगा। पूंजी विनिवेश पर मंत्रिमंडलीय समिति ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एन एफ एल) की सामरिक बिक्री को अपनी स्वीकृति दे दी है। कम्पनी की 51प्रतिशत एक्विटी एकमात्र क्रेता को बेच दी जाएगी और उसके साथ ही उसका प्रबंधकीय नियंत्रण भी उसे सौंप दिया जाएगा। यहां रेखांकित करना महत्वपूर्ण होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र की यूरिया उत्पादन कम्पनी के संयंत्र सामरिक दृष्टि से उत्तम स्थानों में स्थित हैं और उनमें विभिन्न वाणिज्यक लाभ निहित हैं।

4.7 सरकार के कामबंदी के निर्णय की चपेट में आने वाली सार्वजनिक इकाईयों में कोलार गोल्ड फील्ड तथा एच एस सी एल भी सम्मिलित हैं। मार्डन फूड लिमिटेड के पूर्ण निजीकरण के साथ ही इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई के पूर्ण निजीकरण का मामला प्रकाश में आया है। इंडियन एयर लाइन्स तथा देश के चार प्रमुख हवाई अड्डों का निजीकरण करने सम्बन्धी निर्णय की घोषणा सरकार द्वारा पहले ही की जा चुकी है। जहां तक तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा नियुक्त समिति की ओर से ''हाइड्रोकार्बन वियन 2050'' शीर्षक के अन्तर्गत तैयार की गई रिपोर्ट में संस्तुति दी गई है कि सार्वजनिक क्षेत्र की सभी तेल इकाईयों में सरकारी एक्विटी वर्ष 2005 तक शून्य के निकट लाई जाए। तथापि रिपोर्ट में विचार किया गया है कि ओ एन जी सी, आइ ओ सी तथा जी ए आइ एल के मामले में इस प्रकार की कार्रवाई कुछ समय पश्चात की जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इन संस्तुतियों (सिफारिशों) पर विचार किया जा रहा है और उनकी स्वीकृति एच पी सी एल, बी पी सी एल, एम आर एल, सी आर एल, आइ बी सी जैसी प्रमुख वेल कम्पनियों के निजीकरण के लिये अंतिम सिग्नल होगी।

4.8 सम्भावित क्रेताओं के लिये सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को आकर्षित बनाने के उद्देश्य से तथाकथित गैर जीवनश्रम इकाईयों को बंद कर देने, पूंजीगत पुनर्गठन, कम्पनियों को दो भागों में विभक्त करने जैसे विभिन्न कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। कर्मचारियों की संख्या को कम

करना इस दिशा में उठाया गया एक और प्रतिगामी कदम है। कर्मचारियों की संख्या में कमी लाने की यह कार्रवाई वास्तव में बदनाम हथकण्डों को प्रयोग में लाकर की जा रही है जैसे कर्मचारियों को प्रलोभन देना और आवश्यकता पड़ने पर बाहुबल का प्रयोग भी कर लेना उनसे कहा जाता है स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति को स्वीकार कर लो या फिर छंटनी के लिये तैयार हो जाओ। हाल ही में एक संशोधित वी आर एस (स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना) की घोषणा की गई है जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है—लाभ पर चलने वाली वाणिज्यिक दृष्टि से दुर्बल तथा बीमार।

4.9 ''दूसरी पीढ़ी के सुधारों'' के अन्तर्गत वर्तमान में किये जाने वाले हमलों का शिकार बीमार इकाईयां अधिक होने लगी हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस बात पर बल देकर घोषणा की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों को बंद कर दिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि कांग्रेस (आइ) सरकार द्वारा गठित ओंकार गोस्वामी समिति सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार कम्पनियों को बंद करने के लिए पुराने एस आइ सी ए (सिका) 1985 को समाप्त करके एक नयी फास्ट ट्रैक प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपनी संस्तुति (सिफारिश) दी थी। देश के संम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन ने बहुत समय पूर्व इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। किन्तु भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने एस आइ सी ए अर्थात् सिका को समाप्त करने का यह खतरनाक अभियान शुरू कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में निजी कम्पनियों के स्वामियों के मामले में इस प्रकार का कदम सरकार को मात्र प्रशासकीय आदेश जारी करके बीमार कम्पनियों को बंद कर देने में सक्षम बना देगा, यह स्पष्ट ही है। हमने पहले ही सरकार की इस कार्रवाई का विरोध किया है।

4.10 सार्वजनिक निगमों के निजीकरण के गम्भीर दुष्परिणाम निकलेंगे। इसके चलते न केवल जनता के धन से हमारे कुशल कर्मचारियों द्वारा बनाई गई सैकड़ों करोड़ रुपये की परिसम्पत्तिों से राष्ट्र हाथ धो बैठेगा अपितु करों तथा शुल्कों के खाते में हमारे राज कोष को क्षति झेलनी पड़ेगी। यह तथ्य हमें ठीक ढंग से उजागर करना चाहिए कि राजकोष में करों तथा शुल्कों के रूप में भारी भरकम राशि का भुगतान करने के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहीं आगे रहे हैं।

4.11 वर्ष 1998-99 के लिये कार्पोरेट करके भुगतान की उदाहरण लें। सर्वाधिक कार्पोरेट कर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिया गया। उसने 1,197 करोड़ रुपये का कर दिया, उसके पश्चात् एन टी पी सी ने 953 करोड़ रुपये, ओ एन जी सी ने 608 करोड़ रुपये, एम टी एम एल ने 517 करोड़ रुपये, बी एच ई एल ने 396 करोड़ रुपये, गेल (जी ए आइ एल) ने 340 करोड़ रुपये के कर का भुगतान किया। इसके विपरीत निजी क्षेत्र में सर्वाधिक 250 करोड़ रुपये के कार्पोरेट कर भुगतान आइ टी सी की ओर से किया गया (द इकनामिक टाइम्स 25-12-99)। यह भी पता चल जाता है कि सर्वाधिक आबकारी शुल्क का भुगतान करने पर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम कार्पोरेट कर का भुगतान करने वाली 50 शीर्ष कम्पनियों की सूची में भी नहीं आता जबकि इसके विपरीत आइ ओ सी, बी पी सी एल, एच पी सी एल, सेल जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां सर्वाधिक आबकारी शुल्क तथा कार्पोरेट कर का भुगतान करने वाली कम्पनियों में सम्मिलित हैं।

4.12 जब वर्तमान समय की सरकार द्वारा अपनाई गई सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी नीतियां अपनी पराकाष्ठा पर हों तो उस स्थिति में अपनी सेवा शर्तों, क्षतिपूर्ति पैकेज तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों के प्रश्न पर सबसे अधिक पीड़ित सार्वजनिक इकाईयों के श्रमिक होंगे, यह स्पष्ट ही है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है: अनेक सार्वजनिक उपक्रमों में श्रमिकों को उनके वेतन का भुगतान नहीं होना या उनके वेतन का भुगातन नहीं होना या उसका अनियमित भुगतान होना, सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी विभाग द्वारा जारी किये गए श्रमिक विरोधी दिशा निर्देश जिनके कारण सार्वजनिक उपक्रमों में वेतन समझौते प्रभावी बनाने के मार्ग में कठिनाईयां खड़ी हो रही हैं और इसके साथ ही बीमार सार्वजनिक उपक्रमों में वेतन समझौतों पर प्रतिबंध पुन: लगाया जाना, स्थायी तथा स्थायी प्रकृति के रोजगारों का जबर्दस्त अनुबंधीकरण और जस्टिस मोहन समिति द्वारा दी गई श्रमिक विरोधी संस्तुतियां (सिफारिशें), इन सभी कार्रवाईयों का सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों के वेतनों पर विषम दुष्प्रभाव पड़ा है।

3.13 पिछले वेतन समझौतें की अवधि समाप्त होने के पश्चात् तीन वर्षों की एक लम्बी अवधि व्यतीत हो चुकी है और वेतन वार्ताओं में अवरोध अब तक बना हुआ है। यह सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी विभाग द्वारा वेतन संशोधन पर अस्वीकार्य दिशा निर्देश जारी किये जाने के कारण हो रहा है। उसने शर्त रखी है कि नया वेतन समझौता दस वर्षों के लिए हो, इसके चलते सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों जिनके मामले बी आइ एफ आर में चल रहे हैं, वेतन समझौतों पर डी पी ई ने पुन: प्रतिबंध लगा दिया है, तथाकथित घाटे में चल रही सार्वजनिक इकाईयों को भी इस प्रतिबंध के अन्तर्गत लाया गया है। इसी मध्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यकारी अधिकारियों के वेतनों में संशोधन करने सम्बन्धी जस्टिस मोहन समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना उसके साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनों में संशोधन करने के प्रश्न पर डी पी ई द्वारा जारी किये गए निर्देश सरकार के दृष्टिकोण में व्याप्त दोगलेपन को उजागर करते हैं।

5. सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के संघर्ष

5.1 इस समीक्षा अवधि में देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा व्यापक संघर्ष किये गए। इसके प्रारम्भिक चरण में अनेक उद्योगवार आंदोलन देखे गए। सी पी एस टी यू के कोर ग्रुप की एक बैठक 23-11-99 को नयी दिल्ली में सम्पन्न हुई। इस बैठक में अनेक संघर्ष चलाने

का आह्वान किया गया और सार्वजनिक इकाईयों के श्रमिकों को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियां करने के लिये अनुरोध किया गया। 29-11-99 को राष्ट्रीय विरोध दिवस' मनाया गया। उसी दिन हजारों श्रमिकों तथा कर्मचारियों जिनमें बीमा तथा बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों की भारी संख्या थी, द्वारा बैंकों तथा बीमा कम्पनियों का निजीकरण करने सम्बन्धी भारत सरकार के अभियान के विरुद्ध संसद मार्ग नयी दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया।

5.2 सी पी एस टी यू की विस्तारित बैठक 16 दिसम्बर 1999 को नयी दिल्ली में हुई। बैठक की उपस्थिति प्रतिनिधियों की संख्या तथा बहस में भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा प्रदर्शित जुझारू तेवरों दोनों ही दृष्टियों से अनपेक्षित रूप से उत्साहवर्धक रही जो सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों में व्याप्त संघर्ष की भावना का एक विशिष्ट प्रदर्शन था। बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा देश व्यापी हड़ताल करने तथा उसके पश्चात् भावी आंदोलन की तैयारी के लिये संघर्ष के कार्यक्रमों की श्रृंखला तथा प्रचार कार्यक्रम चलाने का निश्चय किया गया जिनमें सर्वाधिक विशिष्ट कार्यक्रम 11-1-2000 को सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा राष्ट्र व्यापी आंदोलन के पक्ष में आयोजित ''सर्वेक्षण'' का कार्यक्रम था। 17 दिसम्बर 1999 को विस्तारित बैठक के प्रतिनिधियों ने दिल्ली स्थित सार्वजनिक इकाईयों के श्रमिकों द्वारा उद्योग भवन में स्थित उद्योग मंत्रालय के पिछबाड़ी में आयोजित प्रदर्शन में भाग लिया। जनमत सर्वेक्षण का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों की विशाल बहुसंख्या ने संघर्ष की लम्बी एवं प्रत्यक्ष कार्रवाई जिसमें सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी नीतियों को करारा प्रत्युत्तर देना भी शामिल है, के पक्ष में फतवा दिया था।

5.3 सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों की 2 फरवरी की हड़ताल को गुंजायमान सफलता मिली। देश भर में श्रमिकों की भारी संख्या ने हड़ताल में भाग लिया। यद्यपि इंटक तथा बी एम एस के नेतृत्व ने हड़ताल को अपना समर्थन नहीं दिया था तथापि इन केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ सम्बद्ध अनेक उद्योगों के श्रमिक संघों ने हड़ताल के नोटिस दिये और उनके सदस्यों तथा समर्थकों ने हड़ताल में भाग लिया। यह सर्वविदित तथ्य है कि सार्वजनिक इकाईयों को पूर्णतया समाप्त कर देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जिस पागलपन के साथ जबरदस्त हमला किया जा रहा है, उसके फलस्वरूप श्रमिकों के मध्य आक्रोश अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया है। विभिन्न औद्योगिक केंद्रों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों से श्रमिकों की अनेक नयी श्रेणियों ने इस हड़ताल में भाग लिया था। इस हड़ताल में उन श्रमिकों ने भी भाग लिया जो सामान्यतया सार्वजनिक क्षेत्र श्रमिक संघों संयुक्त आंदोलन की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं होते। उनका स्वत: स्फूर्त ढंग से हड़ताल में भाग लेना एक विशेष घटना है। बी एम एस तथा इंटक ने यद्यपि हड़ताल में भाग नहीं लिया था तथापि हड़ताल का समर्थन करने के प्रति श्रमिकों के रुख को देख कर वे खुले रूप में हड़ताल का विरोध करने का साहस नहीं कर सके और चुप रहने के लिये विवश रहे।

5.4 बहुत समय से हमारा अनुभव रहा है और जिसकी चर्चा हम बार-बार करते रहे हैं कि सी आइ टी यू सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के आंदोलन को शुरू करने तथा उसे आगे बढ़ाने के मामले में सदैव अग्रिम पंक्तियों में रहा है। इसके साथ ही हम अपने कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा करें तो हमें पता चल जाएगा कि हम हड़ताल के बाद संघर्ष की कार्रवाईयों को जारी रखने में सफल नहीं हो सके हैं और प्रचार, आंदोलन तथा कार्रवाई के समय श्रमिकों के मध्य जो उत्साह उत्पन्न हुआ था, उसे भी हम बनाए नहीं रख सके हैं। इसका शुद्ध परिणाम यह निकला है कि संघर्ष की प्रत्येक कार्रवाई संघर्ष के अन्य सभी कार्यक्रमों से अलग थलग एक कार्यक्रम मात्र बन कर रह गई और उसके वांछित परिणाम नहीं निकल सके यह सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी प्रतिगामी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष का मामला रहा हो अथवा श्रमिकों की विशेष मांगों के लिए सरकार पर दबाव डालने का प्रश्न हो, दोनों मामलों में बात एक ही है। जनरल कौंसिल (महापरिषद) में साथियों को हमारे आंदोलन के इन महत्वपूर्ण पक्षों पर विचार करना चाहिये, उन्हें अपने अनुभव बताने चाहियें और इन गम्भीर दुर्बलताओं (कमियों) को दूर करने के लिये अपने ठोस सुझाव देने चाहियें। इसी संदर्ष में हमें स्वयं अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये। यदि हमारी सभी राज्य समितियां तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में सक्रिय सम्बद्ध श्रमिक संघों ने और अधिक प्रभावशाली ढंग से पहलकदमी की होती तो जनमत सर्वेक्षण और अच्छे ढंग से कराया जा सकता था। सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे कुछ श्रमिक संघों ने जनमत के महत्व को ठीक ढंग से नहीं समझा। दूसरी ओर बिहार में हमारी कोलियरी यूनियन ने 2 फरवरी की हड़ताल में भाग नहीं लिया।

6. गोदी एवं बंदरगाह श्रमिकों की हड़ताल

6.1 देश में ग्यारह प्रमुख बंदरगाहों के एक लाख से अधिक गोदी एवं बंदरगाह श्रमिकों ने 18-1-2000 को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। इस हड़ताल का आह्वान पांच महासंघों ने संयुक्त रूप से किया था। सांझे मांग पत्र में दर्ज अन्य मांगों के अतिरिक्त वेतन समझौते की अवधि दस वर्ष की अपेक्षा पांच वर्ष करने की मांग भी सम्मिलित थी। हड़ताल पूर्ण रही और उसे जबरदस्त सफलता मिली। सरकार द्वारा हड़ताल समाप्त कराने के लिए जल सेना तथा पुलिस बलों का नृशंस उपयोग किया गया। श्रमिकों ने अत्यंत बहादुरी के साथ सरकार के अत्याचारों को झेल कर भी हड़ताल जारी रखी। यह हड़ताल पूरे छह दिन जारी रही और इसके परिणामस्वरूप सभी ग्यारह बंदरगाहों का पूरा काम ठप्प हो गया था। भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा श्रमिक महासंघों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ यह हड़ताल समाप्त हुई। यद्यपि हमारे महासंघ को समझौते पर कुछ आपत्ति थी तथापि संयुक्त आंदोलन के हित में हमारे द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किये गए और अन्यों के साथ हमने भी हड़ताल वापसी का आह्वान किया।

6.2 गोदी एवं बंदरगाह श्रमिकों की हड़ताल ने एक बार पुन: सिद्ध कर दिया है कि ठीक दृष्टिकोण अपनाने से श्रमिकों में पूर्ण एकता तथा नेतृत्व को संघर्ष के मंच पर लाया जा सकता है। इसके साथ ही श्रमिकों की संयुक्त कार्रवाई अधिकारियों को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये विवश कर देने की गारंटी है। और तो और इसी एकता के बल पर अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता समर्थन भी प्राप्त किया जा सकता है। भूमण्डल के चहुं ओर से हड़ताल की सफलता के लिये संदेश भेजे गए जिनमें हड़ताली श्रमिकों के साथ एकजुटता व्यक्त की गई थी और सरकार से मांग की गई थी कि वह हड़ताली श्रमिकों से बातचीत करके उनकी मांगों का समाधान करे। हड़ताल के समर्थन में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय बंदरगाहों में श्रमिकों द्वारा भारतीय बेड़े चलाने से इन्कार कर दिया गया।

6.3 इसी मध्य सरकार समझौते में व्यक्त की गई सहमतियों का सम्मान नहीं कर रही। इसके परिणामस्वरूप एक और गतिरोध की स्थितियां बनने लगी हैं। पांचों महासंघों ने 12-4-2000 को संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री को एक पत्र भेज कर इस पर अपना गहरा शोक व्यक्त किया है और उन्हें सूचित किया है कि अपने आश्वासन के अनुसार सरकार द्वारा विवाद को नहीं सुलझाएं जाने के कारण श्रमिकों में असंतोष बढ़ रहा है। महासंघों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों का निपटारा शीघ्र नहीं किया गया तो श्रमिक अपनी राष्ट्र व्यापी हड़ताल पुन: शुरू करने पर विवश होंगे।

7. उत्तर प्रदेश के विद्युत श्रमिकों की हड़ताल

7.1 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के 80,000 श्रमिकों द्वारा 17 जनवरी 2000 को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई जो पूरे 11 दिन जारी रही। सरकार द्वारा निजीकरण से पूर्व परिषद को तीन भागों में विभक्त करने के लिये उठाए गए विचारहीन कदम के विरोध में की गई हड़ताल की यह एक शानदार कार्रवाई थी। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों ने हड़ताल को समाप्त कराने के लिये जबरदस्त दमन चक्र चलाया; उसके द्वारा भीसा, एस्मा तथा नासा जैसे बर्बर कानून लागू किये गये और हड़ताली श्रमिकों को बड़े स्तर पर निलम्बित किया गया, श्रमिकों की बस्तियों में अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति रोक दी गई और इसी प्रकार की दूसरी नृशंस कार्रवाईयां की गईं किन्तु इतना सब किये जाने पर श्रमिकों की जुझारू भावना का दमन नहीं किया जा सका।

7.2 राष्ट्रीय जन संगठन मंच का एक सम्मेलन 20-1-2000 को नयी दिल्ली में हुआ। सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित करके हड़ताल का पूर्ण समर्थन किया गया और हड़ताली श्रमिकों के प्रति एकजुटता की कार्रवाईयां देश भर में करने के लिये आह्वान किया गया। केंद्रीय श्रमिक संगठनों का एक शिष्टमण्डल जिसमें कामरेड ई बालानन्दन तथा अन्य नेता सम्मिलित थे, 19-1-2000 को लखनऊ गया और हड़ताली श्रमिकों के साथ धरने पर बैठा। 21-1-2000 को उत्तरी राज्यों के विद्युत कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के समर्थन में "नियम अनुसार काम" आंदोलन किया गया जबकि शेष भारत में उस दिन जबरदस्त रोष प्रदर्शन किये गए। इसी प्रकार पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश में 24-1-2000 को एकजुटता हड़ताल की गई जबकि अन्य राज्यों में "नियम अनुसार काम" आंदोलन किया गया।

7.3 अन्तत: सरकार को झुकना तथा दमन का मार्ग छोड़ कर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के हड़ताली कर्मचारियों के नेताओं के साथ समझौता वार्ता करने के लिये विवश होना पड़ा। सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन को इस हड़ताल से अनेक शिक्षाएं मिली हैं। यह उस राज्य में कोष/बैंक निदेशों के अनुसार राज्य विद्युत परिषदों को भंग करने तथा बाद में उनका निजीकरण कर देने के प्रयासों के विरुद्ध हड़ताल की एक जबरदस्त एवं जुझारू कार्रवाई की गई थी जहां का जनवादी श्रमिक आंदोलन अपनी दुर्बलताओं की पीड़ा झेलता रहा है। इससे एक स्पष्ट संदेश मिला कि प्रभावी पहलकदमी करके विभिन्न सांगठनिक प्रतिबद्धताओं वाले श्रमिकों को एकजुट किया जा सकता है और सरकार के बर्बर अत्याचारों का बहादुरी के साथ सामना करते हुए सरकार की प्रतिगामी नीतियों के विरुद्ध वीरता पूर्ण संघर्ष किया जा सकता है। श्रमिकों की पंक्तियों में उत्पन्न इस शानदार एकता की न केवल रक्षा की जानी चाहिये अपितु इसे और अधिक सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के श्रमिक की हड़ताल के संदेश तथा उससे मिली शिक्षाओं का प्रसार पूरे देश में किया जाना चाहिये। उत्तर प्रदेश की हड़ताल ने दर्शा दिया है कि स्थानीय स्तर पर अनेकानेक दुर्बलताएं रहते हुए भी हमारे नेताओं को इस संयुक्त आंदोलन में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने के लिये निमंत्रित किया गया। इसका कारण कोष/बैंक निदेशित आत्मघाती औद्योगिक नीतियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने वाले संगठन के रूप में सी आइ टी यू की छवि ही थी।

8. सार्वजनिक इकाईयों में श्रमिकों के अन्य संघर्ष

8.1 तेल तथा पेट्रोलियम क्षेत्र में अधिकारियों के संघों द्वारा अपने शीर्ष मंच "द आयल सेक्टर आफिसर्ज एसोसिएशन" (ओ एस ओ ए) के आह्वान पर अपनी आर्थिक समस्याओं को ले कर 11-1-2000 को जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी, उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिये। इस हड़ताल में प्रमुख रूप से तेल शोध संयंत्रों तथा पश्चिमी क्षेत्र ओ एन जी सी के श्रमिकों द्वारा भाग लिया गया; यह इस हड़ताल का एक शानदार पक्ष था। किन्तु इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट नहीं किया जा सका। निश्चित रूप से यह इस क्षेत्र के श्रमिक आंदोलन की एक दुर्बलता है। यद्यपि हड़ताल उसी दिन समाप्त हो गई थी तथापि उसके चलते सरकार पर जबरदस्त दबाव पड़ा और उसे देश के भीतर तथा देश

के बाहर भारी प्रचार मिला।

8.2 इस्पात श्रमिकों ने सरकार के निजीकरण एवं कामबंदी के अभियान का तीखा प्रत्युत्तर दिया है। सरकार के प्रतिगामी निर्णय की घोषणा होने के अगले दिन इस्पात श्रमिकों ने देश भर में सड़कों पर आकर उसका विरोध किया और सलेम इस्पात संयंत्र में श्रमिकों की हड़ताल पूर्ण रही। वास्तव में क्षेत्र के विभिन्न संयंत्रों/इकाईयों तथा विजाग स्टील में अलग अलग ढंग से श्रमिकों द्वारा निरंतर आंदोलन चलाया जा रहा है। कुछ संयंत्रों के स्तर पर श्रमिकों द्वारा निजी पार्टियों के शिष्टमण्डलों के दौरे का शारीरिक विरोध भी किया गया। हमारे श्रमिक संघों ने इस्पात उद्योग में निजीकरण के अभियान का प्रतिरोध करने के लिये संयुक्त संघर्ष चलाने के उद्देश्य से अन्य प्रमुख श्रमिक संघों को एकजुट करने के लिये पहलकदमी की है।

9. राज्य सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल

9.1 राजस्थान में राज्य सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल जो पिछले वर्ष दिसम्बर में शुरू हुई थी 40 दिनों से अधिक समय तक जारी रही। सरकार द्वारा जबरदस्त चक्र चलाए जाने पर भी कर्मचारी मांगों की प्राप्ति तक संघर्ष जारी रखने के लिये दृढ़ रंहे। अन्ततः राजस्थान सरकार की उनकी मांगें स्वीकार करने के लिये विवश होना यहां और इस प्रकार हड़ताल वापस ले ली गई। हड़ताल के समय कुछ विशेष शक्तियों द्वारा श्रमिकों में फूट डालने के प्रयास किये गए। किन्तु श्रमिकों की दृढ़ एकता के कारण इन प्रयासों को सफलता नहीं मिली।

9.2 लगभग इसी समय जम्मू एवं कश्मीर में राज्य सरकारी कर्मचारियों ने पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित वेतनमानों के बराबर वेतन देने तथा वेतनों की पिछली बकाया राशि का भुगतान करने की मांग के लिये 30 दिनों से भी अधिक समय तक हड़ताल की। फारूक अब्दुल्ला सरकार द्वारा हड़ताली श्रमिकों को बर्बर दमन किया गया और आंदोलन के नेताओं को भूमिगत होकर संघर्ष चलाना पड़ा। किन्तु इस मामले में भी राज्य सरकारी कर्मचारियों को विभाजित करने के प्रयास सफल नहीं हुए। भारी संख्या में कर्मचारियों तथा उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया, इस पर भी हड़ताल केवल जारी रही अपितु लम्बे समय तक चली। अन्ततः राज्य सरकार को कर्मचारियों के नेताओं के साथ बातचीत करने तथा मांगों का निपटारा करने के लिये विवश होना पड़ा। ये संघर्ष लम्बे संघर्षों को चलाने और पुलिस तथा प्रशासन के दमन का सामना करने की कर्मचारियों तथा श्रमिकों की तत्परक्षा को दर्शाते हैं। इन संघर्षों ने श्रमिकों में एकता के लिये व्याप्त इच्छा को भी उभारा है और इनके फलस्वरूप विभाजक शक्तियां श्रमिकों की एकता को खण्डित करने में सक्षम नहीं हो सकीं।

10. पेंशन का मामला उच्चतम न्यायालय में

10.1 पेंशन का मामला अथवा ई पी एस-95 के विरुद्ध दायर किया गया मुकदमा उच्चतम न्यायालय में पिछले तीन वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित पड़ा है। इसके प्रमुख रूप से दो कारण हैं। पहला, विभिन्न उच्च न्यायालयों में सभी लम्बित मामलों को उच्चतम न्यायालय में अंतरित करने में बहुत लम्बा समय लगा। कुछ मामले तो अब भी उच्चतम न्यायालय में अंतरित नहीं किये गए। तथापि, उच्चतम न्यायालय इस पर आगे की कार्रवाई करने के लिये अंतिम रूप से निर्णय ले लिया है और उसने कहा है कि इस मुकदमें पर दिया जाने वाला अंतिम निर्णय सभी मामलों में लागू होगा। दूसरे, उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 25-6-1999 को एक अधिसूचना जारी करके सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यकारी अधिकारियों के वेतनों तथा अन्य सेवा लाभों में संशोधन पर जस्टिस मोहन समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। उस अधिसूचना में यह सुझाव भी दिया गया था कि ई पी एफ-95 में संशोधन करके इसे इकाई/उपक्रम स्तर की योजनाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए और इनके लिये कर्मचारियों तथा सेवायोजकों द्वारा दिये गए संयुक्त अंशदान के माध्यम से धन जुटाया जाए। यह अधिसूचना श्रम मंत्रालय द्वारा अपनाए गए रुख के प्रतिकूल थी। श्रम मंत्रालय ने ऐसे किसी भी संशोधन का विरोध किया था।

10.2 उच्चतम न्यायालय ने सरकार से 27 जुलाई 99 तक अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहा। किन्तु 4 अप्रैल 2000 को भी सालिसिटर जनरल ने उच्चतम न्यायालय से और समय देने की मांग कर दी गई। न्यायाधीशों ने सरकार द्वारा बार-बार विफल रहने पर अपना गहरा क्षोभ व्यक्त किया। सुनवाई की अगली तिथि 2 मई 2000 रखी गई है (अधिक विवरण के लिये अक्टूबर 1999 का ''सीटू मजदूर'' देखें)।

11. असंगठित क्षेत्र में काम

साथियो,

11.1 हम कार्य समिति तथा जनरल कौंसिल की प्रत्येक बैठक में असंगठित क्षेत्र में अपने काम के सम्बन्ध में विचार करते रहे हैं। चेन्नई में सम्पन्न जनरल कौंसिल बैठक में सभी राज्य समितियों से कहा गया था कि वे असंगठित क्षेत्र में गतिविधियों में मजबूती लाने के लिये राज्य स्तरीय समितियों का गठन करें।

11.2 तथापि राज्यों द्वारा बार-बार आश्वासन दिये जाने पर भी इस क्षेत्र में हमारा काम पूर्वत: असंतोषजनक बना रहा है। हमारे काम की स्थिति क्या है, इसे अधोलिखित विश्लेषण से देखा जा सकता है:

1. अखिल भारतीय समन्वय समिति के 40 सदस्य हैं; किन्तु बैठकों में उनकी उपस्थिति का अनुपात केवल लगभग 17 है। समन्वय समिति की बैठक 6 मास में एक बार नियमित रूप से होती है।

2. अखिल भारतीय समन्वित समिति में 12 राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, उनमें से केवल 6-7 राज्यों का ही बैठक में आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है।

3. असम, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा उड़ीसा से अखिल भारतीय समन्वय समिति में कोई प्रतिनिधि नहीं है यद्यपि इसके लिये राज्य नेताओं के साथ बार-बार सम्पर्क स्थापित किया जाता रहा है। केवल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, दिल्ली तथा त्रिपुरा राज्य समितियां ही ठीक ढंग से काम कर रही हैं।

11.3 यह तथ्य बहुत ही विचलित कर देने वाला है कि चार राज्यों पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक तथा हिमाचल प्रदेश के महासचिव स्वयं समन्वय समिति के सदस्य हैं; किन्तु वे भी बैठकों में भाग नहीं लेते।

11.4 अखिल भारतीय समन्वय समिति ने अपनी बैठक 28 तथा 29 जनवरी को कलकत्ता में की थी और उसमें बहुसंख्य राज्यों में काम की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई थी।

11.5 साथियो, आप इस बात से सहमत होंगे कि जब तक हम इस अत्यंत विशाल और बढ़ते चले जाने वाले असंगठित क्षेत्र में योजनाबद्ध एवं सुनियोजित ढंग से काम नहीं करेंगे तब तक हम अपने संगठन को सुदृढ़ नहीं बना सकते। अखिल भारतीय समन्वय समिति द्वारा संघर्ष का कार्यक्रम बनाया गया है; उसके अनुसार 24 अप्रैल को अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया जाएगा; उससे पूर्व राज्य स्तरीय अभियानों, सम्मेलनों इत्यादि का आयोजन किया जाएगा। किन्तु हम यह नहीं जानते कि इन कार्यक्रमों को लागू किया भी जाएगा या नहीं क्योंकि इस सम्बन्ध में अभी तक कि[illegible] राज्य की ओर से हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

11.6 स्मरण रहे, बैठकों में बहुत कम उपस्थिति होने के कारण हम संघर्ष के कार्यक्रमों पर कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं।

11.7 मैं विशेष रूप से इन राज्यों जिनके कार्यों पर उंगली उठाई गई है और जहां का काम आशा के अनुरूप नहीं है, से अनुरोध करूँगा कि वे इस स्थिति में सुधार लाने की अपनी योजनाओं की जानकारी अवश्य हमें दें।

12. कामकाजी महिलाएं

12.1 गाजियाबाद में सम्पन्न जनरल कौंसिल की पिछली बैठक में एक विशेष सत्र का आयोजन करके कामकाजी महिलाओं के मध्य हमारे कार्यों पर विचार किया गया था और इस क्षेत्र में हमारे कार्यों में सुधार लाने के लिये कुछ विशेष काम करने का निर्णय लिया गया था। सभी राज्य समितियों को निदेश दिया गया था कि वे इसी दृष्टिकोण से इस विषय पर विचार करें, एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाएं, अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करें तथा अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त करें। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश इत्यादि कुछेक राज्यों में सी आइ टी यू के एक राज्य पदाधिकारी को कामकाजी महिलाओं में काम करने का दायित्व सौंपा गया था। बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में सी आइ टी यू के एक राज्य पदाधिकारी को कामकाजी महिलाओं में काम करने का दायित्व सौंपा गया था। बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में सी आइ टी यू के एक राज्य पदाधिकारी को आंगनवाड़ी कर्मचारियों में काम करने का दायित्व सौंपा गया है। इसके फलस्वरूप उन राज्यों में कुछ सीमा तक कामकाजी महिलाओं के संगठित करने में सहायता मिली है। यदि इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं में काम करने के लि[illegible] एक समयबद्ध कार्यक्रम बना दिया जाए तो उसके वांछित परिणाम निकाले जा सकते हैं।

12.2 कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक 18-19 दिसम्बर, 2000 को नयी दिल्ली में हुई थी। उसमें राष्ट्रीय जन संगठन मंच के अभियान हेतु भारी संख्या में महिलाओं को लामबंद करने का निर्णय लिया गया था। कामकाजी महिलाओं ने बड़ी संख्या में 9 मार्च को दिल्ली में आयोजित जनसभा में भाग लिया था।

12.3 प्रसूति लाभों, समान पारिश्रमिक, यौन उत्पीड़न, खेतिहर श्रमिकों तथा घरेलू उद्योग धंधों में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, खेत मजदूर यूनियन तथा किसान सभा के साथ मिलकर एक संयुक्त राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसकी तिथि सम्बन्धित संगठनों के साथ विचार विमर्श करके निश्चित की जाएगी।

12.4 कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति का सम्मेलन सी आइ टी यू के महाधिवेशन से बहुत समय पूर्व, पश्चिम

बंगाल में आयोजित किया जाएगा। उद्योगों में सक्रिय हमारे महासंघों जहां कामकाजी महिलाओं की भारी संख्या है, को भी कामकाजी महिलाओं के सम्मेलनों का आयोजन तथा समन्वय समितियों का गठन करना चाहिए। सी आइ टी यू की राज्य समितियों की सुनिश्चित बनाना चाहिए कि सी आइ टी यू के साथ सम्बद्ध श्रमिक संघों के प्रतिनिधि दिये गए कोटे के अनुसार सम्मेलन में भाग लें।

12.5 **द वायस आफ द वर्किंग वीमेन :** मई 1999 में सम्पन्न जनरल कौंसिल की पिछली बैठक के पश्चात् इस पत्रिका की प्रसार संख्या में लगभग 2000 की वृद्धि हुई है; इस समय कुल प्रसार संख्या लगभग 3500 है। किन्तु इसका एक बड़ा भाग 3-4 राज्यों तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, केरल तथा दिल्ली में ही जाता है। राज्य/केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, बीमा, बैंकों इत्यादि में कार्यरत अंग्रेजी पढ़ी लिखी कामकाजी महिलाओं के साथ इसकी प्रसार संख्या बढ़ाने के लिये सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए।

12.6 **पत्रिका :** हिन्दी भाषा में पत्रिका के तीन अंक निकाले जा चुके हैं। एक त्रैमासिक पत्रिका के रूप में डाक घरों में छूट प्राप्त करने के लिये इस पत्रिका को नियमित रूप से प्रकाशित करना तथा नये ग्राहक बनाना आवश्यक हो गया है। सी आइ टी यू की राज्य समितियों को सुनिश्चित बनाना होगा कि पत्रिका के लिये देय बकाया राशि का भुगतान तत्काल किया जाए ताकि हिन्दी भाषी राज्यों की कामकाजी महिलाओं तक इस पत्रिका का पहुंचाने के लिये प्रयास किये जा सकें तथा इसका प्रकाशन होता रहे।

12.7 **आंगनवाड़ी :** फेडरेशन द्वारा जुलाई 1999 में एक तीन दिवसीय ट्रेड यूनियन कक्षा लगाई गई थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि इस प्रकार की कक्षाएं राज्य स्तर भी लगाई जाएंगी। उसके अनुसार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में कक्षाएं लगाई गईं।

12.8 अक्टूबर 1999 में संगठन पर एक केन्द्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उसके पश्चात् कर्नाटक, तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश, केरल तथा पंजाब में राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

12.8 अक्तूबर 1999 में संगठन पर एक केन्द्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उसके पश्चात् कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, केरल तथा पंजाब में राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

12.9 संयुक्त संघर्ष समिति के झंडे तले 28 अप्रैल को दिल्ली में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मूल समस्याओं को लेकर एक जनसभा के आयोजन की योजना बनाई गई है।

12.10 बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में यूनियनों को पुन: सक्रिय करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। सी आइ टी की राज्य समितियों को नियमित रूप से उनका मार्ग दर्शन करने के साथ साथ उनकी वित्तीय सहायता करनी चाहिए। उन्हें आंगनवाड़ी यूनियनों को सुदृढ़ बनाने के लिये कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना चाहिए जो कामकाजी महिलाओं के राज्य व्यापी आंदोलन को विकसित करने का आधार बन जाएगा।

12.11 तथापि अखिल भारतीय महासंघ की बैठकों में उपस्थिति बहुत कम होती है। 'सी आइ टी यू की सभी राज्य समितियों को सुनिश्चित बनाना चाहिए कि कार्य समिति में उनके राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं अवश्यमेव बैठकों में भाग लें।

13. ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला

13.1 नवम्बर 1999 को जयपुर में आयोजित सी आइ टी यू कार्यसमिति की बैठक में श्रमिक वर्ग को दासत्व की भट्टी में झोंक देने की भाजपा के नेतृत्व वाली एन डी ए सरकार की घृणित योजनाओं को रेखांकित किया गया था। मालिकों की लाबी के साथ मिल कर श्रमिकों पर हमले करने सम्बन्धी सरकार के षड्यंत्र की पोल खुल चुकी है। अनेक संघर्षों के फलस्वरूप श्रमिकों द्वारा प्राप्त किये गए ट्रेड यूनियन तथा जनवादी अधिकारों पर हमले किये जा रहे हैं। इन हमलों के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोधी संघर्ष करने के लिये श्रमिक संघों की एक सांझी कार्यसूची बन गई है।

12.2 देश में सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों जिसमें एक भी अपवादी नहीं है, ने त्रिपक्षवाद में तेज़ गिरावट के रुझान पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। देश के शीर्ष त्रिपक्षीय मंच भारतीय श्रम सम्मेलन (आइ एल सी) पर सरकार द्वारा त्रिपक्षवाद के लिये अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करना एक नित्य प्रतिदिन का काम हो गया है। जब हम धर्मनिष्ठ भाव से आइ एल सी तथा स्थायी श्रम समिति (एस एल सी) की प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत किये गए कार्रवाई सम्बन्धी वक्तव्यों का अवलोकन करते हैं तो हमारे सामने एक धूमिल स्थिति उभर कर आ जाती है।

13.3 सरकार द्वारा इस अवधि में त्रिपक्षीय निकायों की दो बैठकें बुलाई जा चुकी हैं। स्थायी श्रम समिति का 36वें सत्र का आयोजन 9 फरवरी 2000 को हुआ और भारतीय श्रम सम्मेलन के 36वें सत्र का आयोजन 14 अप्रैल 2000 को किया गया था।

13.4 प्रधानमंत्री के पद का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय श्रम सम्मेलन के शीर्ष मंच पर

भाषण दिया। वह 14 अप्रैल को उसके 36वें सत्र का उद्घाटन करने गए थे।

13.5 एस एल सी तथा आइ एल सी के ये सत्र बहस करने का आखाड़ा मात्र बन कर रह गए; उनमें श्रम सम्बन्धी विषयों पर गर्मागरम बहस तो की गई किन्तु श्रमिक वर्ग के लिये उसके कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले। विलम्ब से ही सही, सरकार ने बहस वाले विषयों पर अपने निष्कर्ष निकाले किन्तु उनमें श्रमिकों के विचारों तथा टिप्पणियों को जोड़ने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई; इस प्रकार यह पूरी की पूरी प्रक्रिया एक मजाक बन कर रह गई।

13.6 खेद का विशय है कि इन त्रिपक्षीय निकायों द्वारा निकाले गए कुछेक सर्वसम्मत निष्कर्षों/संस्तुतियों (सिफारिशों) पर सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। किन्तु इसके साथ ही सरकार श्रमिकों तथा श्रमिकों तथा श्रमिक संघों के जनवादी अधिकारों पर अंकुश लगाने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रही है।

13.7 सरकार ने द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया है; यह आयोग मालिक समर्थक तथा विचारों की दृष्टि से संघ परिवार के पक्षपाती कुछेक लोगों पर आधारित है। उसके विचारार्थ विषयों का केवल एक उद्देश्य होता है—वर्तमान श्रम कानूनों की सेवा योजकों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की आवश्यकता के अनुकूल बनाना, उनमें उदारीकरण तथा भूमण्डलीयकरण की नीतियों का पुट लाना तथा उसी प्रकार की दूसरी कार्रवाईयां करना।

13.8 सरकार ने यहा तक कि ट्रेड यूनियन अधिनियम में प्रतिगामी संशोधन करने की घोषणा कर दी है जिनके अन्तर्गत संगठित होने तथा यूनियन बनाने सम्बन्धी श्रमिकों के अधिकारों पर अनेक प्रतिबंध लागू हो जाएंगे।

केन्द्रीय श्रम मंत्री सत्यनारायण जटिया ने हाल ही में रहस्योद्घाटन किया है कि ''सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि श्रमिकों को जब चाहे काम पर रखने और जब चाहे काम से निकाल बाहर करने (अर्थात् हायर एण्ड फायर) के सिद्धांत को कहां लागू करने की अनुमति दी जाये और कहां उसे लागू करने की अनुमति नही दी जा सकती।'' इस प्रकार सरकार औद्योगिक सम्बन्धों के मामले में ''जंगल राज'' लाने के लिये हाथ पांव मार रही है।

13.9 सी आइ टी यू ने द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के कार्यों के सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय द्वारा श्रमिक संघ के साथ परामर्श करने के लिये बुलाई गई बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। बी एम एस, इंटक तथा एव एम एस के अतिरिक्त अन्य कई केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने भी इस बैठक का बहिश्कार किया। आयोग के प्रति श्रमिक संघों का संयुक्त दृष्टिकोण क्या हो, इस प्रश्न पर सी आइ टी यू समविचारक श्रमिक संघों तथा व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श कर रहा है।

13.10 भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सार्वजनिक भविष्य निधि, लघु बचतों तथा केंद्रीय तथा राज्य सरकारी कर्मचारियों के मामले में जनरल प्राविडेंट फण्ड (जी पी एफ) की ब्याज दरें कम कर दी हैं उसने एस एल सी द्वारा की गई सर्वसम्मत मांग को मानने से इन्कार कर दिया है; स्मरण रहे एस एल सी ने सरकार से मांग की थी कि वह या तो सरकार के राजकोष में जमा पेंशन निधि के धन पर ब्याज की दर को 8.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दे और या स्वयं सरकार द्वारा निश्चित किये गए ढांचे के अनुसार निवेश के लिये इस धन को जारी कर दे। कर्मचारी पेंशन निधि में श्रमिकों के धन पर ब्याज दरों में कटौती करना दूर की बात नहीं रह गई है।

13.11 दूसरी ओर सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई एक पैशाचिक कार्रवाई के माध्यम से सरकार द्वारा नियुक्त दवे समिति ने भविष्यनिधि तथा पेंशन निधि में श्रमिकों के धन को सट्टा बाजार में लगाने की घिनावनी सिफारिश सरकार से कर डाली है। यद्यपि ई पी एफ न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड तथा स्थायी श्रम समिति द्वारा इन अनिष्टकारी प्रस्तावों को रद्द किया जा चुका चुका है, इस पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा इस योजना को छोड़ा नहीं गया।

13.12 इन घटनाओं का श्रमिकों तथा देश में श्रमिक आंदोलन पर अनिष्टसूचक प्रभाव पड़ेगा। प्रत्येक श्रमिक विरोध की कार्रवाई के विरुद्ध सजग रहना और एकजुट होकर उसका प्रतिरोध करना, इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सी आइ टी यू समितियों तथा श्रमिक संघों को प्रत्येक स्तर पर कड़े संघर्षों के फलस्वरूप प्राप्त किये गए श्रमिक वर्ग के अधिकारों पर सरकार तथा सेवा योजकों के गठबंधन के हमलों का सामना करने तथा उनकी रक्षा करने के लिये कुछ न कुछ अवश्य करना होगा।

14. 14वीं विश्व ट्रेड यूनियन कांग्रेस

14.1 श्रमिक संघों के विश्व महासंघ (डब्ल्यू एफ टी यू) की ओर से अपने 14वीं विश्व ट्रेड यूनियन कांग्रेस का आयोजन नयी दिल्ली में 25-28 मार्च 2000 को किया गया। भारत से बाहर दूसरे देशों के लगभग 250 प्रतिनिधियों ने इस कांग्रेस में भाग लिया। इस कांग्रेस का आयोजन पहली बार भारत में किया गया था।

14.2 यद्यपि सी आइ टी यू डब्ल्यू एफ टी यू के साथ सम्बद्ध नहीं है तथापि हमने उसकी स्वागत समिति में सम्मिलित होने का निर्णय लिया और कांग्रेस को सफल बनाने के लिये प्रत्येक ढंग से हमने अपना सहयोग दिया। सी आइ टी यू ने प्रतिनिधियों के भाषणों का साथ-साथ अनुवाद कराने तथा कांग्रेस के समय सचिवालय प्रकृति की सेवाएं उपलब्ध कराने का दायित्व अपने ऊपर लिया था। सी आइ टी यू की ओर से 15 पर्यवेक्षकों ने इस कांग्रेस में भाग लिया जिनमें ई० बालानंदन, एम के पंधे, चित्तब्रत मजूमदार, मोहंम्मद अमीन, काली घोष, पी के गांगुली, एस बी भारद्वाज, के वी ए अय्यर, रंजना निरूला, सुभाष चक्रवर्ती, आर रामनाथन, सुधीर कुमार इत्यादि सम्मिलित थे। उनके अतिरिक्त कामरेड देबांजन चक्रवर्ती टी यू आइ कंस्ट्रक्शन तथा पी के दास टी यू आइ ट्रांसपोर्ट ने भी इस कांग्रेस में भाग लिया। राज्य सरकारी कर्मचारियों के अखिल भारतीय महासंघ की ओर से कामरेड सुकोमल सेन, कामरेड अजय मुखर्जी तथा कामरेड अप्पन ने कांग्रेस में भाग लिया। बेफी की ओर से जी एम वी नामक, आल इंडिया इंश्योरेंस इमपलाईज एसोशिएशन की ओर से एम आर सैनी सम्मिलित हुए। उनके अतिरिक्त 16 साथियों को कांग्रेस के लिये तकनीकी सहयोगियों के रूप में नियुक्त किया गया था।

14.3 23 मार्च को इराक, क्यूबा, लीबिया, सूडान, युगोस्लाविया इत्यादि देशों पर लगाए गए आर्थिक नाकाबंदी तथा प्रतिबंधों पर श्रमिक संघों के अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कामरेड ज्योति बसु द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया जाना था, किन्तु पश्चिम बंगाल विधान सभा में अपनी व्यस्तता के कारण वह सम्मेलन में भाग नहीं ले सके। तथापि, सम्मेलन में उनका लिखित वक्तव्य पढ़ा गया। सम्मेलन ने उपरोक्त देशों के विरुद्ध लगाए गए नौकाबंदी तथा प्रतिबंधों के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया। अनेक विदेशी प्रतिनिधियों ने बहस में भाग लिया। सी आइ टी यू की ओर से एन के पंधे ने बहस में भाग लेते हुए उन देशों की जनता के साथ एकजुटता व्यक्त की जो आर्थिक नाकाबंदी तथा प्रतिबंधों के विरुद्ध वीरोचित संघर्ष कर रहे हैं।

14.4 डब्ल्यू एफ टी यू के अध्यक्ष इंद्रजीत गुप्त ने खराब स्वास्थ्य होने पर भी कांग्रेस में भाग लिया जबकि महासचिव अलेग्जांदर जारिकोव ने नीतिगत दस्तावेज प्रस्तुत किये। दस्तावेजों पर बहस के समय अनेक प्रतिनिधियों ने डब्ल्यू एफ टी यू तथा कुछके ट्रेड यूनियन इंटरनेशनलस की नियमित गतिविधियों का अभाव होने की आलोचना की। नीतिगत दस्तावेज में बहुराष्ट्रीय निगमों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की बात कही गई थी जिसकी अनेक वक्ताओं द्वारा आलोचना की गई। एम के पंधे, सुकोमल सेन तथा सुनीत चोपड़ा ने बहस के समय भाषण दिये। एम के पंधे, चित्तब्रत मजूमदार तथा काली घोष को प्रस्ताव समिति में सम्मिलित किया गया। प्रतिनिधियों द्वारा मतभेद व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप नीतिगत दस्तावेज को कांग्रेस में अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इस अवसर पर एशिया-प्रशांत श्रमिक संघों की एक बैइक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि ये श्रमिक संघ क्षेत्र में बहुत ही प्रभावी ढंग से अपनी गतिविधियों में समन्वय लाएंगे। अनेक वक्ताओं ने रेखांकित किया कि वर्ष 1994 में दमिश्क में सम्पन्न पिछली कांग्रेस के पश्चात् संगठन की अधिक गतिविधियां देखी नहीं गईं। दक्षेस देशों के श्रमिक संघों कीभी अलग से बैठक हुई। इस बैठक में 11 मई 2000 को भूमण्डलीयकरण तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्र में ट्रेड यूनियन अधिकारों के दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।

14.5 भीषण अर्थ संकट के कारण डब्ल्यू एफ टी यू अपनी दैनंदिन गतिविधियां चलाने की भी स्थिति में नहीं है। उसके पास आवश्यक स्टाफ नहीं है जो एक संगठन के कार्यों को चलाने के लिये आवश्यक होता है। जब विश्व भर में श्रमिक वर्ग पर हमले बढ़ रहे हों तब डब्ल्यू एफ टी यू प्रभावी ढंग से इन हमलों के विरुद्ध आंदोलन चलाने की स्थिति में नहीं हैं। यह दु:ख की बात है।

14.6 पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु की ओर से कामरेड मोहम्मद अमीन ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा 26 मार्च को कांग्रेस में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों तथा पर्यवेक्षकों को दोपहर का भोज दिया। केरल के मुख्यमंत्री ई के नयनार की ओर से कामरेड के राधाकृष्णन ने कांग्रेस के साथ एकजुटता व्यक्त की तथा 25 मार्च को दोपहर का भोज दिया। राज्य सरकारी कर्मचारियों के महासंघ की और से 27 मार्च के दिन प्रतिनिधियों को दोपहर का भोज दिया गया।

14.7 कांग्रेस ने डब्ल्यू एफ टी यू के नये नेतृत्व का चुनाव किया। कामरेड के एल महेन्द्रा एक वर्ष की अवधि के लिये अध्यक्ष तथा अलेग्जांदर जारिकोव महासचिव चुने गए।

14.8 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक आंदोलन वर्तमान में पूर्वत: विभाजित है और इस समय की सबसे बड़ी मांग साम्राज्यवादी हमले का प्रभावी ढंग से प्रतिकार करना है। आइ सी एफ टी यू के साथ सम्बद्ध अनेक श्रमिक संघ भूमण्डलीयकरण का खुलकर विरोध कर रहे हैं और वे भूमण्डलीकरण के विरुद्ध एकजुट होकर कार्रवाई करना चाहते हैं। यद्यपि तात्कालिक रूप से श्रमिक आंदोलन में विश्वव्यापी एकता लाना सम्भव नहीं है तथापि सभी सम्बद्धताओं वाले श्रमिक संघों के स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर संघर्षों को आगे बढ़ाया जा सकता है। सी आइ टी यू की इन एकजुट कार्रवाईयों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। हमें भूमण्डलीयकरण साम्राज्यवादी हमलों का प्रतिरोध करने वाले श्रमिक वर्ग के प्रति एकजुटता व्यक्त करने की दिशा में भी अपनी गतिविधियों में मजबूती लानी होगी।

15. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

15.1 नवम्बर 1999 में जयपुर में आयोजित कार्य समिति की पिछली बैठक के पश्चात् सी आइ टी यू के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध निरंतर बढ़ते चले

गए हैं। इस अवधि में एशिया- प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय श्रमिक संगठनों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित करने पर विशेष रूप से बल दिया गया।

15.2 वियतनाम जनरल कन्फेडरेशन आफ लेबर (वी जी सी एल) के एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने सी आइ टी यू के नियंत्रण पर मध्य नवम्बर में दिल्ली, हरियाणा, देहरादून तथा मसूरी का दौरा किया। प्रतिनिधिमण्डल ने इस अवसर पर सदुपयोग करते हुए भारतीय औद्योगिक श्रमिकों के साथ भेंट की और उनके साथ अपने अपने देशों की श्रमिक जनता की जीवन तथा कामकाजी स्थितियों पर अनुभवों एवं विचारों का आदान प्रदान किया। प्रतिनिधि मण्डल द्वारा द्विपक्षीय मामलों पर सी आइ टी यू के नेताओं के साथ भी लाभप्रद भ्रातृ विचार विमर्श किया गया।

15.3 सी आइ टी यू द्वारा पंजाब से सी आइ टी यू की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य कामरेड रघुनाथ सिंह को "दक्षिण के गैर सरकारी संगठन तथा भूमण्डलीयकरण की चुनौतियां" विषय पर हवाना में 1-3 मार्च 2000 को आयोजित संगोष्ठी में भाग लेने के लिये मनोनीत किया गया था, किन्तु एशियन एयर लाइन्स एयरोफलोट द्वारा अंतिम समय पर उनकी कनफर्म टिकट रह कर दिये जाने के कारण वह हवाना नहीं जा सके।

15.4 सी आइ टी यू द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के सहयोग से फरवरी 2000 कोरियाई पुस्तकों तथा हाथ से बनी वस्तुओं की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना था किन्तु दु:ख का विषय है कि कुछ अपरिहार्य कारणों के चलते इस प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया जा सका।

15.5 श्रमिक संघ के विश्व महासंघ (डब्ल्यू एफ टी यू) ने अपने 17वें सम्मेलन का आयोजन 25-28 मार्च 2000 को विज्ञान भवन, नयी दिल्ली में किया। यद्यपि सी आइ टी यू डब्ल्यू एफ टी यू के साथ सम्बन्ध नहीं है तथापि उसने सम्मेलन के आयोजन के लिये अपना पूर्ण समर्थन तथा सहयोग दिया। उसके द्वारा सम्मेलन के लिये कम्प्यूटर तथा द्विभाषी साथियों की सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। हमारे अनेक साथियों ने पर्यवेक्षकों के रूप में सम्मेलन में भाग लिया तथा सम्मेलन की कार्रवाई में अपना-अपना बहुमूल्य योगदान दिया। हम इस अवसर का उपयोग विश्व भर में अधिकाधिक श्रमिक संगठनों के साथ पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये कर सके हैं।

15.6 कामरेड पी के दास ने स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया की ओर से फ्रांस में आयोजित एक ट्रेड यूनियन कार्यक्रम में भाग लिया।

15.7 सी आइ टी यू सैक्रेटेरिएट ने अपने राष्ट्रीय सचिव कामरेड जीवन राय को पेरिस में 3-7, अप्रैल 2000 को आयोजित एफ टी एन-सी जी टी की 36वीं फेडरल कांग्रेस में भाग लेने के लिये मनोनीत किया था, किन्तु हवाई यात्रा के लिये कनफर्म टिकट नहीं मिलने के कारण वह कांग्रेस में भाग लेने के लिये पेरिस नहीं जा सके।

15.8 जनरल फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन्स आफ कोरिया (जी एफ टी यू के) के एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल जिसका नेतृत्व उसके अध्यक्ष कामरेड रथोम सुन गेल कर रहे थे और जो डब्ल्यू एफ टी यू के सम्मेलन में भाग लेने के लिये भारत आया था, का 29 मार्च को सी आइ टी यू के केंद्रीय कार्यालय में अध्यक्ष कामरेड ई. बालानन्दन तथा उस समय उपस्थित सैक्रेटेरिएट के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने दोनों देशों के श्रमिक संगठनों के मध्य बढ़ रहे सम्बन्धों पर संतोष व्यक्त किया। कामरेड बालानन्दन ने उन्हें भारत की वर्तमान स्थितियों की संक्षिप्त जानकारी दी और उन्होंने विश्व बैंक-कोष विश्व व्यापार संगठन के घिनावने इरादों के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष की आवश्यकता पर बल दिया। जी एफ टी यू के प्रतिनिधिमण्डल ने सी पी आइ (एम) के महासचिव कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ पार्टी कार्यालय में जाकर भेंट की। जी एफ टी यू के अध्यक्ष अपने एक सहयोगी के साथ 30 मार्च को भारत से रवाना हो गए जबकि उनके दो अन्य साथी और तीन दिन दिल्ली में ठहरे। इस अवधि में उन्होंने बल्लभगढ़ में स्थित अवेरी कम्पनी की उत्पादन इकाई का भ्रमण किया; यह इंकाई मापक यंत्र बनाती है और उसके पश्चात् उन्होंने कोरिया के स्वर्गीय नेता कामरेड किम इल सुंग की स्मृति में बीमा कर्मचारियों द्वारा आयोजित एक बैठक में भाग लिया।

15.9 सी आइ टी यू के केंद्रीय कार्यालय में इस अवधि में पधारने वाले उल्लेखनीय नेताओं में एम एस एफ, यू के से कामरेड जान फिशर, तथा जी ई एफ ओ एन टी महासचिव कामरेड बिशुन रियाल तथा सचिव कामरेड बिंदा पांडे जो भारत में कार्यरत नेपाल के प्रवासी श्रमिकों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिये दिसम्बर 1999 में भारत आए थे, इत्यादि सम्मिलित हैं। इस सम्मेलन में सी आइ टी यू, एटक तथा ऐक्टू के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था।

15.10 निकट भविष्य में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कार्यक्रमों का आयोजन होने जा रहा है। इन कार्यक्रमों में अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता कार्यक्रम (अथवा अफेयर्स) भी सम्मिलित है, जिसका आयोजन मई दिवस की पूर्व सन्ध्या पर प्रत्येक वर्ष के एम यू द्वारा मनीला में किया जाता है; इसी प्रकार अणु एवं हाइड्रोजन बमों के विरुद्ध विश्व सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष अगस्त में जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी शहरों में किया जाता है। निर्माण श्रमिकों के अखिल भारती महासंघ के दो साथियों अमल कृष्ण कुंडू तथा मलय कुमार नंदी—और सी आइ टी यू की तमिलनाडु राज्य समिति में दो साथियों —एस मलिकार्जुन तथा पी कलियापन को आर एस ए कार्यक्रम के लिये मनोनीत किया गया है।

16. संगठन पर कार्यशाला

16.1 एक संशक्त एवं सुगठित संगठन के बिना देश भर में जन संघर्षों का निर्माण एवं लामबंदी सम्भव नहीं हो सकती। नयी सहस्राब्दि के

आरम्भ में हड़तालों की एक नयी लहर उठ रही है और हमें संघर्ष की प्रत्येक कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होगा ताकि इन संघर्षों को सफल बनाया जा सके। तथापि हमें अब भी भुबनेश्वर प्रस्ताव में अपने लिये निर्धारित किये गए कार्यों को पूरा करना है।

16.2 गाजियाबाद में आयोजित जनरल कौंसिल बैठक में लिये गए निर्णय के अनुसार सी आइ टी यू केंद्र की ओर से अपने संगठन की दुर्बलताओं तथा संगठन को सुदृढ़ एवं कारगर बनाने के लिये उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करने के उद्देश्य से 13-15 मार्च को नयी दिल्ली में संगठन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। दुर्भाग्य का विषय है कि बिहार तथा उत्तर प्रदेश से किसी साथी ने इस कार्यशाला में भाग नहीं लिया। महाराष्ट्र से एक साथी ने इसमें भाग अवश्य लिया, किन्तु वह किसी दूसरे काम से दिल्ली आया था और उसने दूसरे दिन कार्यशाला में भाग लिया। जनरल कौंसिल को इसे गम्भीरता से लेना चाहिये। कार्यशाला बहुत ही लाभप्रद रही और उसके परिणामों पर एक रिपोर्ट अलग से यहां वितरित की जा रही है।

16.3 मैं जनरल कौंसिल के सभी सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे इस रिपोर्ट पर गहरा विचार विमर्श करें और संगठन की स्थिति में सुधार लाने के लिये उठाए जा सकने योग्य कदमों का सुझाव दें। इससे हमें संगठन की दुर्बलताओं को दूर करने तथा कामकाजी ठंगों में सुधार लाने के लिये निश्चित कार्यक्रम बनाने तथा समुचित कदम उठाने में सहायता मिलेगी।

17. वेरिफिकेशन पर

17.1 भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997 की सदस्य संख्या के आधार पर केंद्रीय श्रमिक संगठनों की सदस्यता के सत्यापन अर्थात् वेरिफिकेशन का कार्य शुरू किया जा चुका है। 31 जनवरी 2000 को श्रमिक संघों से अपने दावे प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था। सी आइ टी यू द्वारा प्रस्तुत किये गए दावे के अनुसार हमारी सदस्य संख्या 28-34-314 थी और यह सदस्य संख्या 3608 श्रमिक संघों की थी। केंद्र द्वारा भरसक प्रयास किये जाने पर भी हम और 1357 श्रमिक संघों के सम्बन्ध में अपने दावे प्रस्तुत नहीं कर सके क्योंकि उनकी ओर से वर्ष 1997 के लिये न वार्षिक विवरणियां और न ही सत्यापन (वेरिफिकेशन) शुल्क भेजा गया था।

17.2 हमारी अनेक राज्य समितियां शायद इस बस को समझ ही नहीं सकीं कि सत्यापन (वेरिफकेशन) का यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सम्मेलनों, समितियों, परिषदों इत्यादि में केंद्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधित्व का निर्धारण कराने के उद्देश्य से किया जाता है।

17.3 तथापि राज्य समितियों के लिये अनिवार्य हो जाता है कि वे यूनियनों द्वारा किये गए दावों को प्रमाणित करें और इसे सुनिश्चित बनाने के लिये सत्यापन अधिकारियों द्वारा मांगी गई जानकारियां निश्चित रूप से उन्हें सुलभ कराएं।

17.4 हमारी अनेक राज्य समितियों ने अभी तक राज्य के अधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में दो साथियों के नाम नहीं भेजे जो राज्य स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया में भाग ले सकें। राज्य स्तर पर बनाई गई उस समितियों को इसकी प्रगति का निरीक्षण करने के साथ-साथ आवश्यकता के अनुसार काम करना चाहिये।

18. सदस्यता

18.1 क्योंकि वर्ष 1995 सी आइ टी यू का रजत जयंति वर्ष था, इसके दृष्टिगत पटना महाधिवेशन ने सी आइ टी यू की सदस्य संख्या को 30 लाख तक बढ़ाने का निर्णय लिया था।

18.2 एक बार पुन: कोच्चि महाधिवेशन में हमने इसे अपने भावी कार्यों की सूची में सम्मिलित करते हुए अगले दिन तीन वर्षों में सी आइ टी यू की सदस्य संख्या बढ़ा कर 40 लाख करने का निश्चय किया था।

18.3 हमने इस रिपोर्ट के साथ एक संलग्निका दी है; यह एक वक्तव्य है; यह वक्तव्य 10 अप्रैल, 2000 तक प्राप्त की गई वार्षिक विवरणियों के अनुसार राज्यवार सदस्य संख्या को दर्शाता है। यदि हम अपनी अनेक राज्य समितियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर विचार करें तो सी आइ टी यू की सदस्य संख्या का आंकड़ा 30 लाख को पार कर जाना चाहिये किन्तु यह स्थिति तालिका में प्रतिबिम्बित नहीं होती। तालिका के अनुसार वर्ष 1998 में हमारी सदस्य संख्या केवल 20, 93, 182 थी और आज की तिथि में वर्ष 1999 के लिये बहुत कम वार्षिक विवरणियां हमें प्राप्त हुई हैं जबकि इस समय तक तो हमें 1998 की पूरी वार्षिक विवरणियां और 1999 की सदस्य संख्या के एक भाग की विवरणियां मिल जानी चाहिये थीं। हमारी राज्य समितियों की अभी सुनिश्चित बनाना है कि वे समय पर केंद्र को वार्षिक विवरणियां तथा सदस्यता शुल्क भेजें। अपने साथ सम्बन्ध श्रमिक संघों को कारगर तथा सदस्यों को सक्रिय बना कर वर्तमान सदस्य संख्या का सुदृढ़ीकरण करना और नये श्रमिकों को सी आइ टी यू के झण्डे तले लाने का कार्य हमने अपने लिये निश्चित किया था। हम इस ओर से उदासीन बने नहीं रह सकते। हमने इसे अपनी सांगठनिक रिपोर्ट (16.16) में रेखांकित किया था; उसका उल्लेख मैं यहां करता हूं: ''यदि हम अपनी संगठनात्मक दुर्बलताओं को दूर करने के लिये ठोस कदम उठाएं तो हमारी '' शक्ति में वृद्धि की सम्भावनाएं कई गुणा बढ़ जाएंगी। सांगठनिक ढांचे में सुधार लाने के फलस्वरूप श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व करने

की हमारी क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और कमजोर क्षेत्रों में संगठन का विकास करने की हमारी क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होगी... ।''

18.5 हाल ही में आयोजित ''संगठन पर कार्यशाला'' में हमने अपनी सदस्य संख्या के आधार को व्यापक बनाने के प्रश्न पर विस्तृत विचार विमर्श किया था। हमने इस बात पर बल दिया था कि राज्य समितियों को नियमित रूप से श्रमिक संघों, जिला, क्षेत्रीय समितियों के कार्यों की मानिटरिंग करनी चाहिये ताकि यूनियन द्वारा चलाई गई प्रत्येक गतिविधि, कार्रवाई के पश्चात् पूरा वर्ष सदस्यता अभियान को चलाना सुनिश्चित बनाया जा सके।

18.6 इसके अतिरिक्त राज्य समितियों को यह बात अवश्यमेव सुनिश्चित बनानी चाहिये कि सम्बद्ध श्रमिक अपनी वार्षिक विवरणियां ठीक ढंग से भर कर श्रमिक संघों के पंजीकरण अधिकारी को भेजे तथा उनकी एक एक प्रति सम्बद्धता शुल्क के साथ 30 जून तक सी आइ टी यू केंद्र में भेजें (सी आइ टी यू संविधान के अनुसार); यद्यपि यह निर्णय अनेक बार लिया जा चुका है तथापि इसे कार्यान्वित नहीं किया जाता।

18.7 साथियो, इस वर्ष हम अपने महाधिवेशन का आयोजन करेंगे। जयपुर में आयोजित कार्य समिति की पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्रतिनिधि मण्डल की 1999 की सदस्यता जिसके सदस्यता शुल्क का भुगतान किया जा चुका होगा, के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्य समितियां इस बात को सुनिश्चित बनाएं कि हमारे श्रमिक संघ वर्ष 1999 के लिये अपनी-अपनी वार्षिक विवरणियां जुलाई 2000 तक अनिवार्य रूप से भेज दें।

18.8 अंत में, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करना चाहूँगा- यह समय पर सम्बद्धता शुल्क के भुगतान का प्रश्न है। आप जानते ही हैं कि सी आइ टी यू की आय का एक मात्र स्रोत सम्बद्धता शुल्क है और सी आइ टी यू केंद्र का पूरा काम इसी पर निर्भर करता है। एक मास के भीतर हम अपने भवन में जा रहे हैं। इसी मध्य सी आइ टी यू द्वारा स्वतंत्र रूप से अथवा दूसरे संगठनों के साथ मिल कर अनेक संघर्ष चलाए गए हैं। भविष्य में दायरे खर्चे बढ़ जाएंगे। उसके दृष्टिगत 0.50 पैसे का सदस्यता शुल्क बहुत कम है और वह भी समय पर हमें नहीं मिलता जिसके चलते हमारी वित्तीय स्थिति पहले ही खराब हो चुकी है। इंस प्रश्न पर गाजियाबाद में आयोजित महापरिषद (जनरल कौंसिल) की बैठक तथा जयपुर में आयोजित कार्य समिति की बैठक में विचार किया गया था और सदस्यता शुल्क को प्रति सदस्य प्रति वर्ष 50 पैसे से बढ़ा कर 1 रुपया करने का सुझाव दिया गया था। इस पर आपकी स्वीकृति लेने के उद्देश्य से सी आइ टी यू के अगले महाधिवेशन में एक संशोधन लाया जा रहा है।

19. बी टी आर स्मारक कोष

19.1 दुर्भाग्य का विषय है कि अनेक बार निर्णय लेने पर भी हम कुछ छोटी-छोटी बातों के चलते अभी तक बी टी आर भवन में जा नहीं सके हैं। तथापि, हम सी आइ टी यू के स्थापना दिवस अर्थात् 30 मई 2000 को अपने भवन में जा सके इसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

19.2 मैंने पिछली अनेक बैठकों में बार-बार कहा है कि एक बार जब हम अपने नये भवन में चले जाएंगे तो हमारे खर्चों में भारी वृद्धि हो जाएगी। राज्य समितियों पर समय समय पर बल दिया जाता रहा है कि उन्होंने बी टी आर स्मारक कोष में जितना योगदान देने अथवा जितना कोटा पूरा करने के लिये आश्वासन दिया था, उसे यथाशीघ्र पूरा करें ताकि हम उसके फलस्वरूप एक संचित कोष बना कर बैंक में उसे सावधि जमा कोष में रखा जा सके और उस पर मिलने वाली ब्याज की मासिक राशि से हम अपने मासिक खर्चे कर सकें। किन्तु हमारी राज्य समितियों द्वारा दिखाई जा रही उदासीनता के कारण स्थिति चिन्ताजनक हो गई है। हमने अनेक बार अंतिम आह्वान किये, किन्तु इस पर भी उस राशि का 50 प्रतिशत भाग भी इकट्ठा नहीं कर सके जिसके योगदान के लिये राज्य समितियों ने आश्वासन दिया था अथवा जितना कोटा उन्होंने लिया था (इसके लिये देखें अनुलग्निका-2)।

19.3 इस समय बी टी आर स्मारक कोष में केवल कुछ हजार रुपये ही हैं और इसका सर्वाधिक दुखदायी पक्ष यह है कि धनाभाव के कारण हम न केवल भवन का आंतरिक काम पूरा करा सकते हैं अपितु हम पहले कराए गए कामों के बिलों का भुगतान भी नहीं कर सके हैं जो अनुमानत: 20 लाख रुपये के हैं। यह स्थिति परेशान कर देने वाली है। इसके लिये क्या किया जाए इसका निर्णय तो हमारी राज्य समितियां ही ले सकती हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमें अल्पावधि में ही धन एकत्रित करना पड़ेगा और राज्य समितियों को उसके अनुसार धन संग्रह के लिये ठोस कार्यक्रम बनाना होगा ताकि इस काम को पूरा किया जा सके।

20. सी आइ टी यू का दसवां महाधिवेशन

20.1 सी आइ टी यू का दसवां महाधिवेशन 27 से 31 दिसम्बर तक हैदराबाद में होगा। सी आइ टी यू की आंध्र प्रदेश राज्य समिति ने स्वागत समिति के गठन करने के लिए 16 अप्रैल को बैठक की थी और महाधिवेशन की तैयारियों की योजना समय रहते बनाई जा रही है। विभिन्न राज्य समितियां भी अपने-अपने सम्मेलनों का आयोजन करने की योजनाएं बना रही हैं। पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा राज्य समितियां तो पहले ही राज्य

सम्मेलनों का आयोजन कर चुकी हैं जबकि शेष राज्य समितियां उसके लिए कार्यक्रम बनाने की प्रक्रिया में से गुजर रही हैं।

20.2 हमें गम्भीरता के साथ इस महाधिवेशन की तैयारियां करनी होंगी ताकि यह महाधिवेशन हमारी गतिविधियों तथा संघर्ष के भावी कार्यक्रम की योजनाबंदी में एक शानदार घटना बन सके।

21. 11 मई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाओ

प्रिय साथियो,

21.1 वर्तमान में सी आइ टी यू का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में 11मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियां करना है। हड़ताल के इस समयाह्वान के प्रति पहले ही देश भर से श्रमिक वर्ग की ओर से व्यापक प्रत्युत्तर मिल चुका है। इस पर भी हम इस सम्बन्ध में ढ़िलाई से काम नहीं ले सकते। सी आइ टी यू के साथ सम्बद्ध सभी श्रमिक संघों को हड़ताल के इस आह्वान का प्रचार करने के लिए अनेक कार्रवाईयां करनी होंगी ताकि उस दिन सरकार की नीतियों के विरुद्ध देशव्यापी विरोध का जोरदार स्वर चहुं ओर सुना जा सके। हमारी राज्य समितियों तथा औद्योगिक महासंघों को तत्काल सभी अन्य संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित करके उन्हें हड़ताल की इस निर्णायक कार्रवाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसी प्रकार राष्ट्रीय जन संगठन मंच द्वारा उठाए गए मुद्दों का प्रचार करने तथा उन्हें लोकप्रिय मुद्दे बनाने के लिए राज्य स्तरीय तथा क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाना चाहिये।

21.2 सी आइ टी यू के साथ सम्बद्ध श्रमिक संघों को किसान सभा, जनवादी महिला समिति, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, डी वाइ एफ आइ, एस एफ आइ जैसे जन संगठनों के साथ भी निरंतर सम्पर्क बनाए रखना होगा ताकि उन जन संगठनों के सहयोग से जबरदस्त जन कार्रवाई की जा सके। अन्य जन संगठन भी रेल रोको, रास्ता रोको, मानव श्रृंखला, धरने जैसे आंदोलन के कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं ताकि उस दिन मानव जीवन के प्रत्येक केंद्र में देशव्यापी विरोध की जोरदार आवाज सुनी जा सके।

21.3 साथियो, कुछेक मामलों में हमारे भीतर दुर्बलताएं भी हैं, उन्हें भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। देश भर में हमारे श्रमिक संघ संघर्ष की इस कार्रवाई को लोकप्रिय बनाने के लिये समान रूप से सक्रिय नहीं है। यहां तक कि कुछेक श्रमिक संघ देर से अपनी गतिविधियां शुरू कर रहे हैं। जहां कहीं भी सम्भव हो सके हमें घर घर जाकर प्रचार अभियान चलाने, दीवारों पर लिखने, हस्त लिखित पोस्टर बांटने एवं दीवारों पर चिपकाने, लीफलेट बांटने जेसे कार्यों को उचित महत्व देना चाहिये। अतीत में जनता की अनेक श्रेणियां आंदोलन में सम्मिलित होती रही है, इस कार्रवाई में भी उन्हें सम्मिलित करने के लिए उनके साथ सम्पर्क किया जाना चाहिए। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक वर्ग भारत सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों के कारण गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ है, उसे भी गोलबंद किया जाना चाहिए ताकि 11 मई के कार्यक्रम को वास्तव में ही राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया जा सके।

21.4 हमें राज्य स्तरों पर राजनीतिक दलों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए भी प्रयास करने चाहिए ताकि वे भी हमारे संघर्ष के समर्थन में अपने-अपने स्तर पर राज्यव्यापी बंद का आह्वान कर सकें। 11 दिसंबर 1998 को आठ राज्यों में बंद का आह्वान किया जा सका था। हमें सुनिश्चित बनाना होगा कि देश भर में और अधिक राज्यों को विरोध की इस कार्रवाई के अन्तर्गत लाया जाए। जहां कहीं संभव हो सके वहां राष्ट्रीय जन संगठन मंच जैसी संघर्ष समितियां बनाई जा सकती हैं ताकि वे और अधिक प्रभावी ढंग से राज्य कार्रवाईयों को समन्वित कर सकें। सी आइ टी यू के साथ सम्बद्ध श्रमिक संघों तथा उनके नेताओं को चाहिए कि वे इस निर्णायक कार्य को शीर्ष प्राथमिकता दें ताकि 11 मई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को हड़ताल की उन पांच अखिल भारतीय कार्रवाइयों से कहीं बड़ी कार्रवाई बनाया जा सके जो हमने पिछले पांच दशकों में की हैं। हमारे आंदोलन का भविष्य इस कार्रवाई की सफलता पर बहुत अधिक निर्भर करता है। हमें अपनी इस कार्रवाई में एन डी ए सरकार का समथन करने वाले लोगों को भी सम्मिलित करने के लिए प्रयत्न करने चाहियें ताकि लोगों में उत्पन्न आक्रोश का पूर्ण उपयोग किया जा सके।

21.5 मुझे पूर्ण विश्वास है कि रिपोर्ट पर बहस में भाग लेने वाले साथी इस महत्वपूर्ण कार्य को उचित महत्व देंगे और वे इस सम्बन्ध में चलाई गई गतिविधियों तथा उनसे प्राप्त अनुभवों की जानकारी हमें देंगे। भविष्य में और क्या किया जाए, इसके लिए भी वे अपने सुझाव हमें देंगे।

22. चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिये लम्बे संघर्षों की तैयारियां करो

प्रिय साथियो,

22.1 11 मई की देशव्यापी हड़ताल की सफलता के लिए प्रत्येक प्रयास करते समय हमें भारत के श्रमिक वर्ग तथा श्रमजीवी जनता को वित्तीय भूमण्डलीयकरण की नीतियों को बदलने के उद्देश्य से लम्बे संघर्षों के लिए तैयार करना चाहिये।

22.2 हम देख चुके हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की नीतियां हमारे राष्ट्रीय हितों के मूल्य पर बहुराष्ट्रीय निगमों की सेवा कर रही हैं जिसके दुष्परिणाम स्वरूप भारत के जन साधारण के कंधों पर कमरतोड़ बोझ पड़ जाएगा। लोगों में इस समय जो असंतोष पनप रहा है, वह आगे चलकर तीव्र आक्रोश बन जाएगा जिसके फलस्वरूप अधिक से अधिक लोग संघर्ष की कार्रवाईयों में शामिल होंगे। हमें संघर्ष के विभिन्न रूपों में जनगण को लामबंद करना होगा। जब लोगों के जीवनस्तर पर हमले और उग्र होने लगेंगे तो ये संघर्ष अनिवार्य रूप से अधिकाधिक जुझारू प्रकृति के बनने चले जाएंगे।

22.3 हमें जनसाधारण की सभी श्रेणियों को एकजुट करने के लिए निर्णायक भूमिका निभानी होगी। यद्यपि राष्ट्रीय जनसंगठन मंच में अनेक कमियां हैं, किंतु इस पर भी यह देश भर में एक लोकप्रिय मंच बन चुका है और अधिकाधिक जन संगठन उसके निकट आते जा रहे हैं।

22.4 इन्हीं परिस्थितियों में सतत एवं संगठित संघर्ष चलाना इस समय की बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। ये संघर्ष उन संघर्षों से कहीं अधिक शक्तिशाली होने चाहिये जिन्हें हम वर्तमान में संगठित कर रहे हैं।

22.5 हमारे दैनंदिन संघर्षों के प्रति जनता का प्रत्युत्तर हमें मिल रहा है, यह वास्तव में बहुत अधिक हैं। सलेम तथा विशाखापत्तनम के संघर्षों के अनुभव स्पष्ट दर्शाते हैं कि भूमण्डलीयकरण तथा औद्योगिक बीमारी के विरुद्ध चल रहे संघर्ष को जनगण के न्योचित संघर्ष के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो सरकार को बचाव की मुद्रा अपनाने पर विवश कर देगा। यद्यपि वर्तमान में चलाए जा रहे ये संघर्ष स्थानीय प्रकृति के हैं तथापि इन्हें क्षेत्रीय तथा राज्य स्तरीय संघर्षों का रूप लेना होगा। हमें इस प्रकार के अवसरों का सदुपयोग करना होगा ताकि हमारे संघर्ष जहां तक सम्भव हो सके व्यापक प्रकृति के संघर्ष बन सकें।

22.6 हमारे संघर्षों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन मिलने की संभावना है और स्वयं हम भी विश्व के विभिन्न भागों में चल रहे संघर्षों का समर्थन करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता की कार्यवाईयों को मजबूत बनाने के लिए वातावरण हमारे आंदोलन के लिए अधिक से अधिक अनुकूल बन रहा है।

22.7 इसलिए सांकेतिक संघर्षों को लम्बी अवधि तक चलने वाले संघर्षों के रूप में परिवर्तित करना हमारा प्राथमिक कार्य होना चाहिए और सी आइ टी यू को सचेत रूप में सभी श्रमजीवी लोगों के अखिल भारतीय आंदोलनों को संगठित करने केलिए अपनी शक्ति जुटानी होगी।

22.8 ज्यों-ज्यों हमारा संघर्ष आगे बढ़ता चला जाएगा त्यों त्यों जन साधारण में इस विश्वास का संचार होगा कि पूंजीवादी भूमण्डलीयकरण की नीतियों को परास्त किया जा सकता है और स्वतंत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शोषणकारी नीतियों का विरोध करके तथा वैकल्पिक नीतियां अपना कर ही किया जा सकता है और अर्थव्यवस्था के आत्म निर्भर विकास की नीतियों पर चल कर ही दरिद्रता के उन्मूलन के लिये संघर्ष चलाया जा सकता है, जनरल कौंसिल की यह बैठक लोगों में इस विचार को जन्म दे, आईये हम सब इसके लिये मिलकर काम करें।

22.8 आईये, हम पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ें, यदि हम एकजुट एवं दृढ प्रतिज्ञ होंगे तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे।

अभिवादन के साथ।

एम के पंधे
महासचिव

Agenda Item No.5 Finalisation of the proposal for revision of affiliation fees for placing before the CITU Conference.

ANNEXURE-I

ON AMENDMENT TO CITU CONSTITUTION

This General Council meeting of CITU held at Kozhikode from 22-24 April 2000 proposes following amendment to the CITU Constitution to be placed for approval in the ensuing CITU Conference to be held at Hyderabad.

Amendment to clause 15(a).
"Clause 15. Each affiliated union shall pay to CITU
(a) An affiliation fee at the rate of fifty paise (Re.0.50) per member per calendar year subject to the minimum of Rs.20/-"

Should now be amended to read as
"Clause 15. Each affiliated union shall pay to CITU
(a) An affiliation fee at the rate of Re.1 per Member per calendar year subject to the minimum of Rs. 40/-